दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

सितंबर भाग-1
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- विधि निर्माण के सुधार में न्यायपालिका की भूमिका 5

आर्थिक घटनाक्रम **8**

- बेहतर 'व्यापार सुगमता' हेतु अनुबंध का क्रियान्वयन 8
- मुद्रीकरण की चुनौतियाँ 10
- उत्तर- आधुनिक कृषि 12
- स्टबल बर्निंग: समस्याएँ और विकल्प 15
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण 17
- वस्त्र उद्योग हेतु प्रोत्साहन 19

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **22**

- वर्तमान समय में BRICS 22
- भारत-श्रीलंका के बिगड़ते संबंध 24

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **27**

- फार्मा क्षेत्र में नवाचार 27

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **30**

- ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर 30

सामाजिक न्याय **32**

- वैवाहिक बलात्कार:महिलाओं के लिये एक अपमान 32
- सकारात्मक कार्रवाई का पुन: अंशांकन 34

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

विधि निर्माण के सुधार में न्यायपालिका की भूमिका

समय के साथ संसद में होने वाली बहसों की गुणवत्ता में आई गिरावट ने विभिन्न हितधारकों की ओर से सुधार की माँग को प्रेरित किया है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने भी इस समस्या पर प्रकाश डाला और माना कि सार्थक विचार-विमर्श के बिना पारित कानूनों में मौजूद अस्पष्टताएँ और अंतराल परिहार्य मुकदमेबाजी को अवसर देते हैं।

जबकि CJI ने यह सुझाव दिया कि विचार-विमर्श की गुणवत्ता में सुधार के लिये अधिवक्ताओं और बुद्धिजीवियों को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना चाहिये, स्वयं न्यायपालिका विधि निर्माण की प्रक्रिया में सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

विधायी प्रक्रिया के साथ संबद्ध समस्याएँ

- दक्षता के मापन की समस्याएँ: आम तौर पर संसद द्वारा एक सत्र में पारित विधेयकों की संख्या के आधार पर इसकी दक्षता का मापन किया जाता है। लेकिन मापन का यह दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि बिना पूर्व नोटिस और विचार-विमर्श के कानूनों को पारित करने में पाई गई दक्षता में जो चीज़ें छूट जाती हैं, उसका कोई आकलन नहीं किया जाता है।
  - इनमें से अधिकांश कानून व्यक्तियों पर बोझपूर्ण दायित्व लादते हैं और प्राय: उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं।
- मतदाताओं की तुलना में दलीय राजनीति को प्राथमिकता: लोगों के प्रतिनिधि के रूप में विधि-निर्माताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी कानून के लिये अपना वोट डालने से पहले अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे।
  - इन कर्त्तव्यों में कानून के निहितार्थों के संबंध में उचित विचार-विमर्श, संबंधित मंत्री के समक्ष संशोधन प्रस्तुत करना एवं उससे प्रश्न पूछना और स्थायी समितियों के माध्यम से विशेषज्ञ साक्ष्य प्राप्त करना शामिल हैं।
  - लेकिन ये प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के बजाय अपने राजनीतिक दल को अधिक प्राथमिकता देते हैं।
- प्रभावी भागीदारी का अभाव: विविध हितधारक समूहों को विधायी अंग में ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ऐसे मंच पर व्यापक विचार-विमर्श यह सुनिश्चित करता है कि कानून से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के विचारों को सुना जाए और वे सक्रिय रूप से इसमें संलग्न हों।
- प्रभावी कार्यकरण का अभाव: विधि निर्माण की जल्दबाजी से संवैधानिक लोकतंत्र के दो मूल आदर्शों (एकसमान भागीदारी और मौलिक अधिकारों के सम्मान) की अवेहलना होती है तथा संसद को एक रबर स्टैंप भर में बदल दिया जाता है।
- संवैधानिक प्रावधानों को महत्त्वहीन करना: संविधान में संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा कानून पारित किये जाने के तरीके के संबंध में विस्तृत प्रावधान मौजूद हैं। दुर्भाग्य से प्राय: इन्हें महत्त्व नहीं दिया जाता है।
  - उदाहरण के लिये, ध्वनि मत के माध्यम से प्राप्त परिणाम की अस्पष्टता की स्थिति में भी सदैव "हां" और "न" की सही संख्या की गणना नहीं की जाती है, जिससे यह प्रकट होता है कि अनुच्छेद 100 के तहत बहुमत वोट हासिल करने की शर्त की पूर्ति के बिना भी विधेयक पारित किये जा सकते हैं।
  - अभी हाल में यह समस्या स्पष्ट रूप से नज़र आई जब राज्य सभा में विपक्ष के सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद विवादास्पद कृषि कानूनों को आनन-फानन में ध्वनि मत द्वारा पारित करा लिया गया।
- धन विधेयक के प्रावधान का दुरुपयोग: कई विधेयकों को धन विधेयकों के रूप में पेश किया जाता है (भले ही वे अनुच्छेद 110 के तहत प्रदत्त धन विधेयकों के विशिष्ट विवरण की पूर्ति न करते हों) ताकि राज्य सभा के हस्तक्षेप से उन्हें मुक्त रखा जा सके।
  - आधार मामले (Aadhaar case) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के मामलों में प्रक्रियात्मक प्रावधानों का पालन किये जाने का परीक्षण कर सकने की अपनी शक्ति की पुष्टि की थी।

नोट :

- हालाँकि इन प्रावधानों को गंभीरता से तभी लिया जाएगा जब न्यायपालिका उनके उल्लंघनों को समयबद्ध रूप से संबोधित करे।
- सरकार के ऐसे कानूनों को दी गई चुनौती न्यायालय में जितने अधिक अरसे तक लंबित बनी रहेगी, राज्य के पास यह तर्क देने का उतना ही अधिक अवसर बनता रहेगा कि कानून के अंतर्गत सृजित अधिकारों और दायित्वों को "मात्र" किसी प्रक्रियात्मक उल्लंघन के लिये भंग नहीं किया जाना चाहिये।

न्यायपालिका की भूमिका

- संवैधानिकता की भावना को लागू करना: न्यायपालिका विधि निर्माण की प्रक्रिया मी सुधार लाने और लोकतांत्रिक आदर्शों को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  - ऐसा करने का एक प्रत्यक्ष तरीका यह है कि विधायी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के मूल पाठ और भावना को तत्परता से लागू किया जाए।
- मूल्यांकन के तरीके को बदलना: न्यायपालिका के लिये इसका एक प्रमुख तरीका यह होगा कि वह कानूनों की संवैधानिक वैधता के मूल्यांकन में 'विचार-विमर्श' या बहस (deliberation) को एक प्रमुख कारक के रूप में देखे।
- न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करना: न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में न्यायालय की यह भूमिका होगी कि वह राज्य से किसी कानून की तार्किकता और इस प्रकार उसकी वैधता का औचित्य साबित करने की माँग करे।
  - ऐसा करते समय न्यायालय यह परीक्षण भी कर सकता है कि विधायिका ने ऐसे किसी कानून की तर्कसंगतता पर विचार-विमर्श किया है या नहीं।
  - विधायी परीक्षण में आम तौर पर कानून को सही ठहराने वाले तथ्यात्मक आधार का मूल्यांकन, घोषित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कानून की उपयुक्तता और मौलिक अधिकारों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के सापेक्ष कानून की आवश्यकता एवं आनुपातिकता का मूल्यांकन करना शामिल होना चाहिये।
  - दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन केस (2013) में यही दृष्टिकोण अपनाया भी था।
    - न्यायालय ने केवल थ्री स्टार्स से कम स्तर के होटलों में डांस प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने वाले कानून को इसमें निहित वर्ग पूर्वाग्रह—और इसलिये समानता का उल्लंघन करने के लिये अमान्य करार दिया था।
    - जबकि राज्य ने इस आधार पर वर्गीकरण को उचित ठहराया था कि केवल निम्न स्तर के ऐसे होटल ही 'ट्रैफिकिंग' के स्थल थे, न्यायालय ने विधि निर्माण की प्रक्रिया का परीक्षण कर इस दावे को खारिज कर दिया और पाया कि राज्य के पास इस दावे का समर्थन करने के लिये अनुभवजन्य आँकड़ा उपलब्ध नहीं था।
- संवैधानिकता का अनुमान (Presumption of Constitutionality): न्यायपालिका "संवैधानिकता के अनुमान" के सिद्धांत के प्रयोग के लिये भी विचार-विमर्श को एक कारक के रूप में चुन सकती है।
  - यह सिद्धांत कानून की तर्कसंगतता पर न्यायालय से संयम बरतने और विधायी निर्णयों को स्थगित रखने की अपेक्षा रखता है।
  - यह सिद्धांत इस कल्पना में निहित है कि विधायिका एक व्यापक रूप से प्रतिनिधिक और विचार-विमर्श करने वाला अंग है, और इस प्रकार "अपने लोगों की आवश्यकताओं को समझता है और उपयुक्त रूप से उनकी पूर्ति करता है।"
  - यदि न्यायपालिका सिद्धांत को केवल उन मामलों तक सीमित रखती है जहाँ राज्य यह दर्शाता है कि संसद में कानूनों और उनके परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श किया गया है, तो न्यायपालिका विधायी निकायों को एक विचार-विमर्श संपन्न विधि निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है।
- विधायिका में स्वयं उसके अंदर से सुधार: मुख्य न्यायाधीश का यह सुझाव कि विधायिका में स्वयं उसके अंदर से सुधार हो, निश्चय ही शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में किसी चिंता को बढ़ावा दिये बिना विधायी समस्याओं को दूर करने का एक आदर्श समाधान हो सकता है।
  - हालाँकि, विधायी बहुमत के पास इस तरह के सुधार के लिये सहयोग करने हेतु बहुत कम प्रेरणा मौजूद है और इस रुख में बदलाव के लिये इस विषय पर उल्लेखनीय सार्वजनिक गतिशीलता की आवश्यकता होगी।

नोट :

- विधायी निकायों को उनकी विधि निर्माण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु न्यायपालिका अपने पास उपलब्ध समस्त साधनों का उपयोग कर सकती है और उन्हें ऐसा करना भी चाहिये।

निष्कर्ष

- भारतीय न्यायपालिका ने प्राय: यह प्रदर्शित किया है कि अन्य संस्थानों में व्याप्त शिथिलता को संबोधित कर लोकतंत्र को समृद्ध करना संभव है। विधायी प्रक्रिया की समीक्षा के लिये एक त्वरित और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाकर न्यायपालिका संसद में भरोसे की पुनर्बहाली में मदद कर सकती है और हमें उस औचित्य की संस्कृति की ओर आगे बढ़ा सकती है जिसकी परिकल्पना संविधान में की गई है।

दृष्टि The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

बेहतर 'व्यापार सुगमता' हेतु अनुबंध का क्रियान्वयन

भारत को वर्ष 2040 तक सतत्/संवहनीय अवसंरचना के निर्माण के लिये 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। इसलिये, विश्व बैंक के व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business- EoDB) सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंकिंग में तेज़ी से सुधार लाना अनिवार्य है, ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके।

हालाँकि, विश्व की EoDB सूची में शीर्ष के 50 देशों में शामिल होने से पहले भारत को अभी कई चुनौतियों (विशेष रूप से अनुबंधों का प्रवर्तन) के समाधान ढूँढने की आवश्यकता है।

व्यापार सुगमता (EoDB) में नवीनतम प्रगति

- व्यापार सुगमता सूचकांक में 190 देशों के बीच भारत की रैंकिग वर्ष 2014 में 142 से सुधरकर 2015 में 130, 2017 में 100, 2018 में 77 और वर्ष 2019 में 63 देखी गई थी।
- विश्व बैंक द्वारा 10 शीर्ष वैश्विक सुधारकर्ता देशों में शामिल होने के लिये (विशेष रूप इतने विशाल देश के रूप में) भारत की सराहना की गई थी।
- EoDB रैंकिंग की गणना 10 मानकों पर की जाती है— व्यवसाय शुरू करना (Starting A Business), निर्माण परमिट (Dealing with Construction Permits), बिजली की प्राप्ति (Getting Electricity), संपत्ति का पंजीकरण (Registering Property), ऋण उपलब्धता (Getting Credit), अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा (Protecting Minority Investors), करों का भुगतान करना (Paying Taxes), सीमा-पार व्यापार (Trading Across Borders), अनुबंध लागू करना (Enforcing Contract) और दिवालियापन का समाधान (Resolving Insolvency)।
- भारत की प्रगति कुछ मानकों—मुख्य रूप से 'दिवालियापन का समाधान' (वर्ष 2018 में 108 से सुधरकर वर्ष 2019 में 52 रैंक)— में नाटकीय सुधार से प्रेरित रही। लेकिन 'अनुबंधों के प्रवर्तन' के मामले में यह 163वें स्थान पर गतिहीन बना रहा है।
- निवेशकों के लिये यह किसी वाणिज्यिक विवाद को हल करने और देश के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिये समय तथा लागत के मापन के सबसे आवश्यक संकेतकों में से एक है।
- वर्तमान में केवल दिल्ली और मुंबई विश्व बैंक द्वारा आयोजित व्यापार सुगमता सर्वेक्षण (Ease of Doing Business survey) के दायरे में शामिल हैं।
  - यद्यपि आगामी व्यापार सुगमता रिपोर्ट में कोलकाता और बेंगलुरु को भी शामिल किये जाने की संभावना है।

अनुबंधों का प्रवर्तन (Enforcing Contracts)

- व्यापार सुगमता रिपोर्ट की सफलता के लिये 'अनुबंधों का प्रवर्तन' संकेतक महत्त्वपूर्ण है।
- यह एक मानकीकृत वाणिज्यिक विवाद के समाधान में लगने वाले समय और लागत की माप के साथ-साथ न्यायपालिका की विभिन्न सुचारू कार्यप्रणालियों का मूल्यांकन करता है।
- इस प्रकार समय, लागत और न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता वे तीन चर हैं जिनके आधार पर विश्व बैंक अनुबंध प्रवर्तन मानक के विषय में देशों की रैंकिंग करता है।
- न्याय विभाग (Department of Justice) अनुबंध संकेतक के प्रवर्तन के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

अब तक किये गए कुछ उपाय

- न्याय विभाग सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा कर्नाटक उच्च न्यायालयों के समन्वय से विभिन्न विधायी एवं नीतिगत सुधारों की निगरानी कर रहा है।

नोट :

- अनुबंधों के प्रवर्तन के लिये एक नया पोर्टल स्थापित किया गया है। परिकल्पना यह है कि निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित नियम और स्पष्ट विधिक प्रावधान सुनिश्चित किये जाएँ, सरकार-संलग्न मुकदमेबाजी को कम किया जाए तथा वाणिज्यिक विवाद समाधान तंत्र एवं अनुबंध प्रवर्तन को सशक्त बनाया जाए।
- अनुबंधों के प्रवर्तन और एक प्रभावी समाधान तंत्र के लिये एक नीतिगत ढाँचे हेतु सिफारिशें देने के लिये सरकार ने नीति आयोग के अंदर दो उच्चस्तरीय कार्यबलों का गठन भी किया है।
  - इससे अवसंरचना क्षेत्र में निवेश में तेज़ी आने और निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
- सरकार एक प्रभावी, कुशल, पारदर्शी और सुदृढ़ 'अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था' के निर्माण के लिये विभिन्न सुधार उपायों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है।
  - वाणिज्यिक न्यायालयों की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार हेतु न्यायिक बिरादरी के साथ एकीकृत तरीके से काम कर सकने के लिये प्रमुख कानून फर्मों, कॉर्पोरेट निकायों और वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के साथ कई दौर की बैठकें आयोजित की गई हैं।

अनुबंधों के प्रवर्तन के साथ संबद्ध चुनौतियाँ

- असंगत और त्रुटिपूर्ण व्याख्या: भारत को मध्यस्थता के एक उत्तम स्थान के रूप में नहीं देखा जाता है क्योंकि विदेशी न्यायालयों की तुलना में भारतीय न्यायपालिका द्वारा असंगत और त्रुटिपूर्ण व्याख्यायों के पूर्व-दृष्टांत प्राप्त होते हैं।
- कार्यवाही को पूरा करने में विलंब: कार्यवाही के पूरा होने में अनावश्यक विलंब होता है, जिससे बैकलॉग की स्थिति बनती है और दावों एवं मामलों के समाधान में देरी होती है।
  - विवाद समाधान के मामले में शीर्ष पर स्थित देश सिंगापुर के 164 दिनों की तुलना में भारत में किसी वाणिज्यिक विवाद को सुलझाने में औसतन चार वर्ष लगते हैं।
- लंबित मामले या बैकलॉग: भारत अपनी न्यायिक प्रणाली में बैकलॉग के लिये कुख्यात है जो एक प्रमुख दोष है और देश को अनुबंध प्रवर्तन तथा न्याय प्रशासन के लिये व्यावसायिक रूप से एक बेहतर क्षेत्राधिकार में परिणत होने से अवरुद्ध करता है।
- न्यायाधिकरणों से पर्याप्त सहयोग नहीं: इस समस्या से निपटने के लिये न्यायाधिकरणों (Tribunals) का गठन किया गया था, लेकिन मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि के साथ वे अदालतों के बोझ को कम करने में उल्लेखनीय सहयोग नहीं कर सके हैं।
- रिक्तियाँ और अवसंरचनात्मक कमी: विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में पीठों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया गया है, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। न्यायपालिका के लगभग सभी स्तरों पर बनी हुई रिक्तियाँ लंबित मामलों से निपटने के मार्ग में बाधा बनी हुई हैं।

आगे की राह

- विवाद समाधान तंत्र: भारत जब विदेशी निवेश के एक प्रमुख केंद्र में परिणत हो रहा है, तब नीति स्थिरता और एक निष्पक्ष, त्वरित एवं प्रभावी विवाद निपटान तंत्र तक पहुँच का होना अनिवार्य है।
  - अधिकांश विदेशी निवेशक अपने अनुबंधों में मध्यस्थता को अपने विवाद निपटान तंत्र के रूप में चुनते हैं और मध्यस्थता का स्थान (seat of arbitration) किसी तटस्थ देश में होता है।
  - निवेशकों के विश्वास को मज़बूत करने के लिये भारत में ऐसे अंतिम निर्णयों के प्रवर्तन की सक्षमता होना महत्त्वपूर्ण है।
- अनुपालनों की संख्या में कमी लाने की आवश्यकता: हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों ने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर 6,000 से अधिक कठिन अनुपालनों की समीक्षा करने और चरणबद्ध रूप से उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया है।
  - इससे घरेलू एवं विदेशी प्रमोटर समर्थित कंपनियों, दोनों को काफी मदद मिलेगी और व्यापार सुगमता को भी बढ़ावा मिलेगा ।
  - मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है।
  - अनुपालन बोझ को कम करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है ताकि फर्म अपने प्रदेय वस्तु या उत्पाद (deliverables) पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

नोट :

- बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना: इसमें प्राथमिकता के आधार पर वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिये न्यायपालिका की सक्षमता को सशक्त करना शामिल है।
  - मध्यस्थता और पूर्व-परीक्षण सुनवाई को अनिवार्य करने, नवीनतम केस प्रबंधन अभ्यासों एवं तकनीकी साधनों को अपनाने और समर्पित न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण जैसे पहलुओं से उल्लेखनीय रूपांतरण आ सकता है।
  - सरकार का ध्यान न्यायिक अवसंरचना में सुधार पर केंद्रित होना चाहिये जिसमें केवल भूमि और भवन ही शामिल नहीं हैं, बल्कि सभी स्तरों पर न्यायाधीशों की उपयुक्त संख्या भी शामिल है।
- मामलों का समयबद्ध निपटान: अनुबंधों के उल्लंघन और प्रवर्तन के मामलों में सुनवाई की कोई समयबद्ध प्रक्रिया मौजूद नहीं है।
  - मामलों का समयबद्ध निपटान (जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुबंध समयबद्ध तरीके से प्रवर्तित होंगे।
- अनुबंध का सम्मान करना: उद्योग निकाय और व्यापार संघ अपने सदस्यों को अनुबंधों की शुचिता के प्रति संवेदनशील बनाने में अहम् भूमिका निभा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ सरकारों (केंद्र और राज्य) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुबंधों के सम्मान के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर बल देते हैं।

निष्कर्ष

यद्यपि भारत ने व्यापार सुगमता सूचकांक में अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया है लेकिन उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

इसके अतिरिक्त, हाल में जब चीन से आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव आया है, कुछ ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है, जिन्होंने भारत को अनुबंध प्रवर्तन में सुधार करने से अवरुद्ध कर रखा है। निवेशकों के भरोसे को जगाने के लिये यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह लेनदेन की पूर्वानुमेयता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता का संकेत देता है।

मुद्रीकरण की चुनौतियाँ

हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline- NMP) जारी की है जो उन विभिन्न सार्वजनिक संपत्तियों को सूचीबद्ध करने वाला एक दस्तावेज़ है जिन्हें अगले चार वर्षों में निजी कंपनियों को पट्टे पर दिया जाएगा।

सरकार का विश्वास है कि क्षमता से कम उपयोग की जा रही सार्वजनिक संपत्तियों के मुद्रीकरण से सरकार को लगभग 6 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होंगे और अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के लिये नई अवसंरचनाओं के निर्माण में मदद मिलेगी। आलोचकों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्तियों को 'क्रोनी कैपिटलिस्टों' के हाथ बेच रही है।

इस संदर्भ में, समग्र आर्थिक विकास पर इस योजना के दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP):

- नीति आयोग द्वारा तैयार किये गए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का उद्देश्य राष्ट्रीय अवसंरचना में "विकास, कमीशन, मुद्रीकरण और निवेश" के एक सुदृढ़ चक्र का निर्माण करना है।
- इसका लक्ष्य निजी क्षेत्र को संलग्न कर ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में संभावनाओं को साकार करना, उन्हें राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना (हालाँकि परियोजनाओं में स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं) और इस प्रकार प्राप्त पूँजी को देश भर में बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण के लिये उपयोग करना है।

NMP के पक्ष में तर्क:

- भारत को और अधिक बुनियादी अवसंरचनाओं की आवश्यकता है परंतु सार्वजनिक क्षेत्र के पास उसके विकास के लिये आवश्यक संसाधनों का अभाव है। इस परिदृश्य में दो संभावित प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं:
  - नये बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के लिये एक संविदात्मक ढाँचे के साथ (कि उसे क्या कार्य करना है) निजी क्षेत्र को संलग्न करने और फिर उसके द्वारा अपने स्वयं के संसाधन जुटाने पर विचार किया जा सकता है।

नोट :

- यह समझना कि निर्माण चरण में अधिक जोखिम होते हैं और इसलिये सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा परिसंपत्ति का निर्माण करना और फिर इसे निजी खिलाड़ियों को बेचना (या यदि एकमुश्त बिक्री नहीं की जाती है तो निजी क्षेत्र को इसका प्रबंधन सौंपना) बेहतर विकल्प हो सकता है।

- भारत सहित किसी भी देश के लिये नए बुनियादी ढाँचे के निर्माण के मार्ग में दो बाधाएँ हैं—
  - दीर्घावधिक, पूर्वानुमेय और सस्ती पूँजी तक पहुँच तथा निष्पादन क्षमता, जहाँ सरकारी एवं निजी एजेंसियाँ एक साथ कई प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य कर सकती हैं।
  - इस प्रकार, NMP को बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में सुधार को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये तैयार किया गया है।

NMP के लाभ:

- संसाधन वृद्धि का सृजन: NMP सरकार को इच्छुक निजी पार्टियों के माध्यम से पूँजी तक पहुँच प्राप्त करने में मदद करेगा।
  - ये निवेशक मुद्रीकृत परिसंपत्तियों का रखरखाव एवं परिचालन करेंगे और नकदी प्रवाह उत्पन्न करेंगे, जबकि इसके साथ ही बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र मं प्रौद्योगिकीय एवं मानव संसाधन क्षमता का भी निर्माण करेंगे।
  - संसाधन वृद्धि का यह सुदृढ़ चक्र वार्षिक बजटीय पूँजीगत व्यय आवंटन की प्रतीक्षा किये बिना सरकार को तुरंत ही किसी नए बुनियादी ढाँचे में निवेश कर सकने में सहायता करेगा।
- संपत्ति का स्वामित्व सरकार द्वारा प्रबंधित: मौजूदा ब्राउनफील्ड, गैर-जोखिमयुक्त संपत्ति, जो चार वर्षीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का अंग है, नई ग्रीनफील्ड परिसंपत्तियों के लिये निष्पादन क्षमता के सृजन में मदद करेगी।
  - सरकार संपत्ति के परिचालन और रखरखाव के अधिकारों का मुद्रीकरण कर रही है न कि उसके स्वामित्व का।
- उचित मूल्य हिस्सेदारी: अनुबंधों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि सरकार को मुद्रीकरण से उचित वर्तमान मूल्य प्राप्त हो, जबकि निजी पार्टियों को पर्याप्त परिचालन लचीलापन और नियामक दृश्यता प्राप्त होगी।
  - इसके अलावा, चूँकि अनुबंध की शर्तें 25 वर्ष या उससे अधिक अवधि की हो सकती हैं, बोली लगाने में प्रकट रुचि से पता चलता है कि निवेशक दीर्घकालिक नियामक स्थिरता और निश्चितता के प्रति आश्वस्त हैं।
- बेहतर लक्षित: NMP करदाताओं के लिये कोई नई वित्तीय देनदारी प्रस्तुत नहीं करता है यह वास्तव में एक बेहतर लक्षित "उपयोगकर्त्ता भुगतान" संरचना का प्रतिनिधित्व करता है।
  - उदाहरण के लिये, यदि दिल्ली में एक स्टेडियम का मुद्रीकरण नहीं किया जाता है तो पूरे देश के करदाता इसके रखरखाव के लिये भुगतान करेंगे। लेकिन एक मुद्रीकृत स्टेडियम के लिये भुगतान केवल दिल्ली में इसकी सुविधाओं का उपयोग करने वालों द्वारा किया जाएगा। यह परिचालन राजस्व उत्पन्न करने का एक बेहतर तरीका है।
- सफल उदाहरण: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा परिसंपत्ति मुद्रीकरण के विचार को पहले ही विभिन्न रूपों में आजमाया जा चुका है।
  - यहाँ तक कि राज्य स्तर पर भी, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का रखरखाव टोलिंग अधिकारों के निमित्त एक रियायतग्राही द्वारा किया जा रहा है।

संबंधित चुनौतियाँ:

- उपयुक्त मूल्य को साकार करना: मुद्रीकरण पाइपलाइन की पहली और प्रमुखतम आलोचना यह है कि परिसंपत्तियों से पर्याप्त मूल्य को साकार किया जा सकेगा या नहीं।
  - यह बोली प्रक्रिया की गुणवत्ता और इस बात पर निर्भर करता है कि पर्याप्त संख्या में निजी खिलाड़ी बोली लगाने के लिये आकर्षित होते हैं या नहीं।
- बोलीदाताओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना: परिसंपत्ति मुद्रीकरण से क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा—यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका यह है कि बोली की शर्तों को ऐसा बनाया जाए कि यह किसी छोटे, विशिष्ट या पूर्व-निर्धारित लोगों के समूह तक सीमित न हो।

नोट :

- हालाँकि, परियोजना की पूँजी तीव्रता (Capital Intensity) के कारण हर कोई बोली लगाने में सक्षम नहीं होगा। इसके बावजूद यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी हो।

- निष्पादन जोखिम: इतने वृहत कार्यक्रम में निश्चय ही निष्पादन जोखिम भी शामिल होगा। यद्यपि यही कारण है कि NMP 'वन-साइज़-फिट्स-ऑल' का दृष्टिकोण नहीं अपना रहा है।
- करदाताओं द्वारा भुगतान: एक विचारणीय विषय यह है कि चूँकि करदाताओं ने इन सार्वजनिक संपत्तियों के लिये पहले ही भुगतान कर रखा है, तो इनका उपयोग करने के लिये वे पुन: निजी पार्टी को भुगतान क्यों करें।
- उप-इष्टतम संविदात्मक प्रवर्तन: इस तरह की योजना की सफलता के लिये एक उप-इष्टतम संविदात्मक और न्यायिक ढाँचे को लेकर व्याप्त संदेह के कारण भी इसकी आलोचना की जा रही है।
- एकाधिकारवादी परिप्रेक्ष्य: कुछ प्रमुख व्यावसायिक घराने NMP के तहत प्रस्तुत की जाने वाली संपत्ति के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकते हैं।

आगे की राह:

- संसाधन बढ़ाने के अन्य तरीके: एक विकास वित्त संस्था (Development Finance Institution- DFI) की स्थापना और केंद्रीय एवं राज्य बजट में अवसंरचना निवेश की हिस्सेदारी को बढ़ाने जैसे संसाधन वृद्धि के अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं।
- विवाद समाधान तंत्र: न्यायिक प्रक्रियाओं को सशक्त करने पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता। कुशल और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र स्वाभाविक रूप से और स्वचालित रूप से NMP के डिज़ाइन और निष्पादन में शामिल होना चाहिये।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सुव्यवस्थित करना: हाल के अनुभव बताते हैं कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (public-private partnerships- PPP) में अब पारदर्शी नीलामी, जोखिमों और अदायगी की स्पष्ट समझ तथा किसी भी एवं सभी इच्छुक पार्टियों के लिये एक खुला क्षेत्र शामिल है।
  - इस प्रकार, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में PPP की उपयोगिता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।
- पारदर्शी बोली: पारदर्शी बोली NMP परियोजना के सबसे महत्त्वपूर्ण भागों में से एक है। इस प्रकार, पारदर्शिता बनाए रखना परिसंपत्ति मूल्य को उपयुक्त रूप से साकार कर सकने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- नीति आयोग की सिफारिशें:
  - InvITs को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के दायरे में लाना: IBC प्रावधानों का विस्तार InvITs तक करने से ऋणदाताओं को एक तेज़ और अधिक प्रभावी ऋण पुनर्गठन और समाधान विकल्प तक पहुँचने में मदद मिलेगी।
  - टैक्स ब्रेक्स (Tax Breaks): कर-कुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल तंत्र, जैसे InvITs में कर-लाभों की अनुमति देना खुदरा निवेशकों (व्यक्तिगत/गैर-पेशेवर निवेशक) को आकर्षित करेगा।

निष्कर्ष

चूँकि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अस्थिर और अनिश्चित बना हुआ है, अग्रिम रूप से वित्तीय संसाधनों को जुटाना एक साहसिक, रचनात्मक और आश्वस्तिकारक नीति वक्तव्य है। यह विश्व को संकेत देता है कि भारत सरकारी कोषागार के हितों के साथ व्यापार के लिये खुला है और नागरिकों को मज़बूती से संरक्षित किया गया है।

उत्तर- आधुनिक कृषि

डेविड क्वामेन (David Quammen) ने अपनी किताब 'Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic' में चेतावनी देते हुए कहा है कि "हम पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करते हैं और विषाणुओं/वायरस को उनके प्राकृतिक मेज़बानों (natural hosts) से निर्मुक्त कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो उन्हें एक नए मेज़बान की आवश्यकता होती है। प्राय: हम ही उसके नए मेज़बान बनते हैं।" संवहनीयता (Sustainability) बेहद महत्त्वपूर्ण है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के लापरवाह प्रबंधन ने पहले से ही बहुत कुछ नष्ट कर दिया है और कृषि सहित लगभग सभी क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं।

नोट :

भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए यह अनिवार्य प्रकट होता है कि हमें बढ़ती आबादी के भरण-पोषण के लिये वैज्ञानिक नवाचार की आवश्यकता है। चुनौती यह है कि निरंतरता और परिवर्तन का सर्वश्रेष्ठ सुमेल कैसे प्राप्त किया जाए ताकि 'न्यू नॉर्मल' के लिये हम अपने उपयुक्त मार्ग की तलाश कर सकें। इसके लिये कृषि के एक नए युग, यानी उत्तर आधुनिक कृषि के युग में प्रवेश करने की आवश्यकता है।

उत्तर आधुनिक कृषि (Post-modern Agriculture)

- कृषि के लिये उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण संवहनीयता, अर्थात् संवहनीय कृषि (Sustainable Agriculture- SA) पर आधारित है ।
- यह आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को एकीकृत करता है। इसके साथ ही, यह उच्च आर्थिक मूल्य के कृषि उत्पादों के उत्पादन से भी संलग्न है।
- उत्तर आधुनिक कृषि के प्रकार और प्रौद्योगिकियों का दायरा अत्यंत व्यापक है। कृषि उत्पादों का चयन, पालन-पोषण के तरीकों में सुधार, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विचार और उपज का विपणन—सभी इसके दायरे में हैं।
- उत्तर आधुनिक कृषि को वैज्ञानिक रूप से संचालित करने की आवश्यकता है। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इस तरह के अन्य अग्रणी/फ्रंटियर विषयों से संसाधन-दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। कृषि भू-दृश्य और जल संभरण के स्तर पर प्रबंधन तेज़ी से प्रासंगिक होता जाएगा।
- कृषि का बहुक्रियाशील चरित्र इसके आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आयामों के साथ पहले से ही केंद्रीय मंच पर उभर रहा है।

कृषि के लिये उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता

- हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम: विज्ञान-प्रेरित प्रौद्योगिकियों पर आधारित और हरित क्रांति की प्रतीकात्मकता से निरुपित आधुनिक कृषि अब एक दोधारी तलवार की तरह देखी जाती है।
  - खाद्यान्न उत्पादन को तीन गुना करने के प्रयास में कृषि रसायनों के बढ़ते अनुप्रयोग और जीवाश्म ईंधन ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता के साथ भारत में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग 10 गुना बढ़ गया।
  - देश में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 18% के लिये कृषि क्षेत्र उत्तरदायी है।
  - तेज़ी से घटते भूमिगत जलवाही स्तर (groundwater aquifers) और 35% भूमि क्षरण से त्रस्त हमारी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा एशिया में न्यूनतम है।
  - गेहूँ और चावल की एकल कृषि (monocultures) पारंपरिक कृषि प्रणालियों की विविधता को विस्थापित कर रही है।
  - आनुवंशिक समरूपता जैविक और अजैविक तनावों के प्रति संवेदनशीलता की वृद्धि के साथ पोषण के लिये अहितकर रही है।
- संवहनीय कृषि की संभावनाएँ: चूँकि उत्तर आधुनिक कृषि, कृषि की संवहनीयता की अवधारणा पर आधारित है; यह एकल (Monocultural) कृषि उत्पादन मॉडल का प्रतिकार करती है।
  - इसका सार दूसरी हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution) के आरंभ में निहित है।
  - वर्तमान में कम भूमि, जल और ऊर्जा के उपयोग साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने की विभिन्न कृषि प्रणालियाँ प्रचलित हैं। उनकी प्रौद्योगिकियाँ मृदा उर्वरता की पुनर्बहाली, जल की गुणवत्ता की पुन:प्राप्ति, जैव विविधता में सुधार और अंतर-पीढ़ीगत समता को बनाए रखते हुए उत्पादकता में वृद्धि करती हैं।
  - राष्ट्रीय संवहनीय कृषि मिशन (National Mission on Sustainable Agriculture), जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on Climate Change) के आठ मिशनों में से एक है जो संवहनीय कृषि की ओर आगे बढ़ने का लक्ष्य रखता है।

उत्तर आधुनिक कृषि के लिये रणनीति

- कृषि-वानिकी (Agroforestry): पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, कार्बन भंडारण, जैव विविधता संरक्षण और मृदा एवं जल संरक्षण के माध्यम कृषि-वानिकी की 25 मिलियन हेक्टेयर में विस्तृत वृक्ष-आधारित कृषि प्रणालियाँ पारिस्थितिकी को समृद्ध करते हुए फल, चारा, ईंधन, फाइबर और लकड़ी प्रदान करती हैं।
  - यह फसल विफलता के विरुद्ध आय, पोषण और बीमा की वृद्धि कर कृषक-प्रत्यास्थता को बढ़ाता है।

नोट :

- संरक्षण कृषि (Conservation Agriculture- CA): संरक्षण कृषि मुख्य रूप से भारत के गेहूँ-चावल क्षेत्र में लगभग दो मिलियन हेक्टेयर भूमि-क्षेत्र में प्रचलित है। यह जल, पोषक तत्त्वों और ऊर्जा के न्यून दक्षता उपयोग को संबोधित करता है।
  - इसके अभ्यासों में शून्य जुताई, लेजर लेवलिंग, फसल अनुक्रमण, परिशुद्ध सिंचाई (precision irrigation), तनाव-सहिष्णु एवं जलवायु-प्रत्यास्थी किस्मों का उपयोग और फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उन्हें बनाए रखना शामिल है।
  - हालाँकि, वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में संरक्षण कृषि को अपनाया जाना अभी शेष है।
- शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (Zero-Budget Natural Farming- ZBNF): इस विधि में कृषि लागत जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक और गहन सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिससे कृषि लागत में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आती है, इसलिये इसे ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का नाम दिया गया है। इस विधि के अंतर्गत किसी भी फसल का उत्पादन करने पर उसका लागत मूल्य शून्य (ज़ीरो) ही आता है। ZBNF के अंतर्गत घरेलू संसाधनों द्वारा विकसित प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है जिससे किसानों को किसी भी फसल को उगाने में कम खर्चा आता है और कम लागत लगने के कारण उस फसल पर किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है।
  - आंध्र प्रदेश वर्ष 2024 तक 80 लाख हेक्टेयर भूमि-क्षेत्र में 60 लाख किसानों द्वारा ZBNF अपनाने हेतु प्रोत्साहित देने के लक्ष्य के साथ अग्रणी भूमिका में है।
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अंतर्गत ZBNF के विज्ञान पर प्रयोग चल रहा है।
- जैविक खेती (Organic farming): इसका अभ्यास निवल कृषित क्षेत्र के केवल 2% भाग में हो रहा है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (National Programme for Organic Production- NPOP) 70% कवरेज के लिये उत्तरदायी है।
  - वर्ष 2015 में शुरू की गई 'परंपरागत कृषि विकास योजना' के बावजूद जैविक खेती की दिशा में प्रगति धीमी ही रही है।
  - यद्यपि सिक्किम को वर्ष 2016 में एक जैविक राज्य घोषित किया गया था।
- चावल गहनता प्रणाली (Systems of Rice Intensification- SRI): यह कम से अधिक की प्राप्ति का विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह प्रणाली पौधों और मृदा के जैविक और आनुवंशिक क्षमता का उपयोग करती है और जल के उपयोग में 25-50% की कमी, तुलनात्मक रूप से 30-40% कम कृषि रसायन और 80-90% कम बीज के साथ चावल की पैदावार को 20-50% तक बढ़ाने के लिये जानी जाती है।
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission) ने SRI के अंतर्गत पाँच मिलियन हेक्टेयर कृषि-क्षेत्र को लाने की परिकल्पना की थी। व्यापक अनुमानों में SRI के कवरेज को लगभग आधा मिलियन हेक्टेयर पाया गया है।
- अन्य संवहनीय कृषि अभ्यासों में जलवायु-कुशल कृषि, पर्माकल्चर, पुनर्योजी कृषि (Regenerative Agriculture), बायोडायनामिक खेती, ऊर्ध्वाधर खेती और हाइड्रोपोनिक्स शामिल हैं, हालाँकि इनके अभ्यास अभी छोटे पैमाने पर ही चल रहे हैं।

चुनौतियाँ

- किसानों के बीच जागरूकता की कमी: केंद्र एवं राज्य सरकारों, विकास बैंकों, गैर-सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्रों और कृषि-उद्यम संबंधी स्टार्ट-अप्स द्वारा कार्यान्वित कई संवहनीय कृषि कार्यक्रम और अभ्यास लगभग दो दशकों से जारी हैं।
  - लेकिन ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (Council of Energy, Environment and Water) की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि 4% से कम किसानों ने संवहनीय कृषि अभ्यासों को अपनाया है।
- ज़मीनी स्तर पर निराशाजनक अभिग्रहण: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organisation- NSSO) या नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (Development Monitoring and Evaluation Office) जैसी सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा संवहनीय कृषि का हाल में कोई समग्र मूल्यांकन नहीं किया गया है।
  - स्पष्ट है कि सुविचारित नीतियाँ और अभियान स्वत: ज़मीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर और तेज़ी से अभिग्रहण के रूप में परिणाम नहीं भी दिखा सकते।

आगे की राह

- निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:
  - विभिन्न संवहनीय कृषि कार्यक्रमों एवं अभ्यासों और किसानों द्वारा उनके अभिग्रहण का एक समग्र मूल्यांकन करना;

नोट :

- विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में संवहनीय कृषि की बहुक्रियाशील प्रकृति की बेहतर समझ के लिये एक रूपरेखा का निर्माण;
- उत्पादकता और पर्यावरणीय लागतों एवं लाभों दोनों को ध्यान में रखते हुए संवहनीय कृषि की प्रगति के मापन के लिये एक नमूना/टेम्पलेट विकसित करना; और
- लघु-अवधि और दीर्घावधि में कड़ाई से निगरानी के लिये आदेशों और प्रदेयों की एक प्रणाली का निर्माण करना।

- पारितंत्र पुनर्बहाली की दिशा में आगे बढ़ना: कोविड-19 के प्रकोप के कम होने की उम्मीद के साथ, यह अवधि संयुक्त राष्ट्र के पारितंत्र पुनर्बहाली दशक 2021-2030 (United Nations (UN) Ecosystem Restoration Decade of 2021-2030) के साथ संगत है, जो प्रत्यास्थी उत्पादन और उपभोग प्रणालियों का पोषण करने वाली हरित पुन:प्राप्ति की ओर रूपांतरणकारी परिवर्तनों को अपनाने पर लक्षित है।
- उत्तर आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग: कृषि क्षेत्र को संवहनीय कृषि के मार्ग पर बने रहने और संसाधन-दक्षता को आगे बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक नवाचारों और आधुनिकतम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई और कृषि की असंवहनीय गहनता पशुजन्य (zoonotic) रोगों को बढ़ावा देने वाले पर्यावरणीय चालक हैं। इस प्रकार, उत्तर कोविड समय में संसाधनों के संरक्षण और इनकी पुन:पूर्ति के लिये उत्तर आधुनिक कृषि को अपनाये जाने की आवश्यकता है।

स्टबल बर्निंग: समस्याएँ और विकल्प

मानसून की अवधि में सिंधु-गंगा मैदान (जिसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं) में धान की खेती ज़ोरों पर रहती है। वही किसान जो हमारी थाली में भोजन लाने के लिये कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, इसके तुरंत बाद ही पराली जलाने (जो भारत में धान अपशिष्ट प्रबंधन का एक आम दृश्य है) के अत्यधिक अस्वास्थ्यकर अभ्यास में संलग्न हो जाते हैं।

पराली जलाना अंतरिम रूप से तो सस्ता और द्रुत विकल्प नज़र आता है, लेकिन यह पर्यावरण के लिये अत्यंत असंवहनीय विकल्प है जो हवा को कालिख से भर देता है, मृदा को पोषक तत्त्वों से विहीन कर देता है और कई अन्य पारिस्थितिक जटिलताओं को जन्म देता है।

इस परिदृश्य में, पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिये वैकल्पिक समाधान ढूँढा जाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

पराली जलाने से संबद्ध खतरे

- वायुमंडलीय प्रदूषण में योगदान: पराली जलाने का वायुमंडलीय प्रदूषण में महत्त्वपूर्ण योगदान है, जो औद्योगिक और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के बाद तीसरे स्थान पर आता है।
  - चीन जैसे एशियाई देशों में कुल बायोमास उत्सर्जन का लगभग 60% पराली जलाने से उत्पन्न होता है। इसके साथ ही, यह विश्व स्तर पर कुल बायोमास दहन (जंगल की आग सहित) के लगभग एक चौथाई भाग का निर्माण करता है।
  - भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) को घेरने वाली भारी धुंध प्रत्यक्ष रूप से पराली जलाने से संबद्ध है, जो अक्तूबर-नवंबर माह में पराली जलाने की अवधि के दौरान उत्पन्न होती है।
- मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: इससे उत्पन्न वायु प्रदूषण से त्वचा और आँखों में जलन से लेकर गंभीर स्नायु, हृदय और श्वसन-संबंधी रोगों जैसे विभिन्न स्वास्थ्य प्रभाव देखे गए हैं।
  - प्रदूषण के उच्च स्तर से लंबे समय तक संपर्क मृत्यु दर में वृद्धि का कारण बनता है। अध्ययन के अनुसार, प्रदूषण के उच्च स्तर के संपर्क में आने के कारण दिल्ली निवासियों की जीवन प्रत्याशा में लगभग 6.4 वर्ष की कमी आई है।
- मृदा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक: यह मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम (NPK) जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है।
  - यह मृदा के तापमान को लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है और इस प्रकार लगभग 2.5 सेमी की गहराई तक महत्त्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों को विस्थापित कर देता है या उन्हें मार देता है।

नोट :

- यह कृषि उत्पादकता को हानि पहुँचाता है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद प्रदूषक अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं और लंबे समय तक कणीय/पार्टिकुलेट प्रदूषण से संपर्क रोगाणुओं या बीमारियों की वृद्धि को अवसर देता है।
- पराली जलाने से उत्पन्न ग्राउंड लेवल ओज़ोन पादपों के चयापचय को प्रभावित करता है और उनकी पत्तियों में प्रवेश करता है और उन्हें नष्ट करता है, जो भारत के उत्तरी भागों में फसलों की गंभीर हानि का कारण बनता है।

- अर्थव्यवस्था पर भार: रिपोर्टों के अनुसार, वायु प्रदूषण में वृद्धि के कारण दिल्ली में पर्यटकों की आमद में लगभग 25-30% की कमी आई है।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि वायु प्रदूषण की आर्थिक लागत लगभग 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है।
  - विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 14 भारतीय शहर हैं (जिनमें से अधिकांश दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों में हैं) और यह समस्या देश के लिये प्रति वर्ष औसतन 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत का कारण बनती है।

वैकल्पिक पद्धति को अपनाने की चुनौतियाँ

- विकल्पों की कमी: पराली जलाने के दुष्प्रभावों से अवगत होने के बावजूद यह फसल कटाई के बाद के अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में किसानों के लिये एक आम अभ्यास बना हुआ है। आम किसानों से बातचीत से पता चलता है कि वस्तुत: विकल्पों के अभाव में यह अभ्यास बना रहा है।
- क्षमता की कमी: पंजाब के उदाहरण से समझें तो वहाँ किसान अपने चावल की फसल के लगभग 80% की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग के माध्यम से करते हैं, जो लगभग 15 सेंटीमीटर ऊँचे डंठल छोड़ देता है। धान और गेहूँ के मामले में शेष रही पराली मात्रा में अनाज से 1.5 गुना अधिक होती है।
  - इन्हें शारीरिक श्रम या कृषि उपकरण के उपयोग के माध्यम से खेतों से हटाना या मिट्टी में दबाना कठिन है, क्योंकि ये दोनों ही तरीके एक औसत किसान के लिये आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।
  - धान अवशेष प्रबंधन के अन्य तरीकों के लिये बाज़ार विखंडित हैं; उदाहरण के लिये, पंजाब में सात बायोमास पावर संयंत्र संयुक्त रूप से प्रति वर्ष मात्र 1 मिलियन मीट्रिक टन धान के भूसे की खपत करते हैं।
- पराली प्रबंधन अवसंरचना की कमी: अपशिष्ट प्रबंधन के लिये अवसंरचना की कमी के कारण किसान पराली जलाने के पारंपरिक तरीके के अभ्यास के लिये बाध्य होते हैं और खुले मैदानों में लगभग 15.4 मिलियन मीट्रिक टन (कुल 19.7 मीट्रिक टन में से) पराली का दहन करते हैं (पंजाब सरकार के वर्ष 2017 के आँकड़े के अनुसार)।
  - यह अभ्यास इसलिये किया जाता है क्योंकि यह किसानों के लिये फसल अवशेषों से मुक्त होने का सस्ता और द्रुत तरीका है जो अगले फसल चक्र से पहले समय पर खेत की सफ़ाई में मदद करता है।

पराली जलाने के अन्य विकल्प

- बायो एंजाइम-पूसा: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (Indian Agriculture Research Institute) ने बायो एंजाइम-पूसा (bio enzyme-PUSA) के रूप में एक परिवर्तनकारी समाधान पेश किया है।
  - इस एंजाइम का छिड़काव 20-25 दिनों में ठूंठ को विघटित कर खाद में बदल देता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में और सुधार होता है।
  - यह अगले फसल चक्र के लिये उर्वरक खर्च को कम करते हुए जैविक कार्बन और मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि करता है।
  - एक संवहनीय कृषि पद्धति के रूप में यह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कटौती करता है और हवा में विषाक्त पदार्थों एवं कालिख के उत्सर्जन को रोकता है।
  - कुछ समय तक इस पद्धति के अभ्यास से यह मृदा के पोषण स्वास्थ्य और सूक्ष्मजीवीय गतिविधि में पर्याप्त वृद्धि करता है, जो किसानों के लिये कम लागत पर बेहतर उपज सुनिश्चित करते हैं और इसके साथ ही उपभोक्ताओं को जैविक उत्पाद प्राप्त होता है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ ज़मीनी-स्तर की संलग्नता: इसके लिये सक्रिय सार्वजनिक-निजी भागीदारी की आवश्यकता होती है, जहाँ समाज के लाभ के लिये संसाधनों को ज़मीनी-स्तर पर ले जाया जाता है और समाधान की प्रस्तुति समयबद्ध तरीके से होती है।
  - किसानों के लिये विकसित योजना में किसानों को भी संलग्न किया जाना चाहिये।

नोट :

- प्रौद्योगिकी-समर्थित कुशल क्रांति: पराली जलाना हरित क्रांति के विभिन्न अनापेक्षित परिणामों में से एक है। यह उपयुक्त समय है कि इस दोष को दूर किया जाए और हमारे किसानों को 'कुशल क्रांति' (Smart Revolution) के रूप में एक नया और स्थायी प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।
  - प्रौद्योगिकी यहाँ प्राथमिक प्रवर्तक होगी, जो साझा अर्थव्यवस्था के लाभों को किसानों तक पहुँचाने में मदद करेगी।
  - डिजिटलीकरण और संवहनीय अभ्यासों एवं परिणामों को सक्षम करने के लिये एक प्रतिबद्धता के साथ हम किसानों के मन में संवहनीय कृषि के लाभों का बीजारोपण कर सकते हैं।
  - यदि सुव्यवस्थित रूप से इसे पूरा किया जाता है तो मृदा एवं वायु के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, जलस्तर पुन: समृद्ध होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- स्व-स्थाने एवं बाह्य-स्थाने प्रबंधन और फसल पैटर्न में परिवर्तन:
  - स्व-स्थाने प्रबंधन (जैसे ज़ीरो-टिलर मशीनों और जैव-अपघटकों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन) के लिये सरकार वर्तमान में किसानों को पराली को वापस मिट्टी में मिलाने के लिये उपकरण प्रदान कर रही है (ताकि वे इसे जलाएँ नहीं), लेकिन सभी किसानों को ये मशीनें उपलब्ध नहीं हो रही हैं।
    - सरकार को उनकी उपलब्धता सभी के लिये सुनिश्चित करनी चाहिये।
  - इसी प्रकार, बाह्य-स्थाने प्रबंधन (जैसे मवेशियों के चारे के रूप में चावल के भूसे का उपयोग) के अंतर्गत कुछ कंपनियाँ अपने उपयोग के लिये पराली एकत्र कर रही हैं, लेकिन हमें इस दिशा में और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है।
  - फसल पैटर्न में बदलाव की भी आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान पैटर्न (जैसे जल की कमी वाले उत्तर-पश्चिम भारत में धान की खेती) गिरते जलस्तर को देखते हुए उपयुक्त नहीं है।
- अन्य वैकल्पिक उपयोग: पराली को जलाने के बजाय इसका पशु चारा, कंपोस्ट खाद, ग्रामीण क्षेत्रों में छत निर्माण, बायोमास ऊर्जा उत्पादन, मशरूम की खेती, पैकिंग सामग्री, ईंधन, कागज निर्माण, जैव-एथेनॉल एवं औद्योगिक उत्पादन आदि विभिन्न उद्देश्यों से इस्तेमाल किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण

एक संस्था के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Banks- PSBs) भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति और विकास के वाहन हैं और समय के साथ लोगों की बचत और विश्वास के न्यासी बनकर उभरे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हरित क्रांति, नीली क्रांति और डेयरी क्रांति के समर्थन के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने देश के अवसंरचनात्मक विकास में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

सरकारी स्वामित्व वाले बैंक न केवल जमाकर्त्ताओं को एक व्यापक सुगमता स्तर प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें सस्ती या वहनीय लागत पर सेवाओं की आपूर्ति भी करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समस्याओं के समाधान के लिये निजीकरण की बात की जा रही है, लेकिन इस विचार की कई अंतर्निहित चुनौतियाँ भी हैं।

निजी क्षेत्र के बैंकों का महत्त्व

- निजी क्षेत्र के बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा पेश कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रेरित करते हैं। उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ इस प्रकार हैं:
  - उच्चस्तरीय पेशेवर प्रबंधन की पेशकश: निजी क्षेत्र के बैंक बैंकिंग क्षेत्र में उच्चस्तरीय पेशेवर प्रबंधन और विपणन अवधारणा की पेशकश में सहायता करते हैं।
    - यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सदृश कौशल और प्रौद्योगिकी के विकास के लिये प्रेरित करता है।
  - स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का निर्माण: निजी क्षेत्र के बैंक बैंकिंग प्रणाली में सामान्य दक्षता स्तरों पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा प्रदान करते हैं।
  - विदेशी निवेश को प्रोत्साहन: निजी क्षेत्र के बैंक, विशेष रूप से विदेशी बैंकों का देश में विदेशी निवेश पर गहन प्रभाव पड़ता है।

नोट :

- विदेशी पूँजी बाज़ारों तक पहुँच में सहायता: निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक भारतीय कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाज़ार से उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कराने में सहयोग करते हैं।
  - महत्त्वपूर्ण विदेशी केंद्रों में उनके प्रधान कार्यालयों/अन्य शाखाओं की उपस्थिति के कारण उनके लिये यह सेवा आसान हो जाती है। इस प्रकार वे देश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने में काफी हद तक मदद करते हैं।
- नवाचार के विकास और विशेषज्ञता प्राप्ति में सहायता: निजी क्षेत्र के बैंक हमेशा नए उत्पाद अवसरों (नई योजनाएँ, नई सेवाएँ आदि) के नवोन्मेष के लिये प्रयासरत रहते हैं और उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण सेवा एवं मार्गदर्शन प्रदान कर उनके संबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने में सहायता करते हैं।
  - वे बैंकिंग सेवा में नई प्रौद्योगिकी लेकर आते हैं। इस प्रकार, वे विभिन्न नए क्षेत्रों में अन्य बैंकों का नेतृत्त्व करते हैं। उदाहरण के लिये, कम्प्यूटरीकृत संचालन, क्रेडिट कार्ड व्यवसाय, एटीएम सेवा आदि की शुरूआत निजी क्षेत्रों से ही हुई।

किंतु निजीकरण कोई रामबाण नहीं है

- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की सार्वभौमिक चुनौती: बैंकों के समक्ष विद्यमान सबसे बड़ी समस्या गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non Performing Assets- NPAs) की है, जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बैंकों को एकसमान रूप से प्रभावित कर रही है।
  - सरकार के समक्ष राजकोषीय बाधाओं के कारण सरकारी बैंकों को अतिरिक्त पूँजी प्रदान कर सकने की कठिनाई भी है और बैंकों को अपनी ऋणप्रदायी गतिविधियों (lending operations) को जारी रखने हेतु पूँजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) बनाए रखने के लिये अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता है।
  - लेकिन ऐसी समस्याओं के कारण निजीकरण के बहाने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से छुटकारा पा लेना अवांछित के साथ वांछित को भी त्याग देने जैसा है।
- निजी क्षेत्र के बैंकों की विफलता: बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिये एक क्रांति की शुरुआत की थी। इस राष्ट्रीयकरण से पहले, भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त अधिकांश बैंक निजी स्वामित्व में थे और वे वृहत स्तर पर समृद्ध और प्रभुत्वसंपन्न लोगों को लाभान्वित करते थे।
  - वर्ष 1969 में 14 निजी बैंकों और 1980 में छह अन्य निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग क्षेत्र को रूपांतरित कर दिया, रोज़गार का सृजन किया, कृषि क्षेत्र के लिये ऋण सेवाओं का विस्तार किया और निर्धन वर्ग को लाभान्वित किया।
  - इस कदम से कृषि, रोज़गार पैदा करने वाली उत्पादक गतिविधियाँ, निर्धनता उन्मूलन योजनाएँ, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्यात, बुनियादी ढाँचे, महिला सशक्तिकरण, लघुस्तरीय एवं मध्यम उद्योग और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग जैसे अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्र इन बैंकों के लिये प्राथमिकता क्षेत्र बन गए।

शासन-संबधी मुद्दे:

- ICICI बैंक के एमडी और सीईओ को कथित रूप से संदिग्ध ऋण प्रदान करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था।
- Yes बैंक के सीईओ को RBI द्वारा सेवा विस्तार नहीं दिया गया और अब विभिन्न एजेंसियों द्वारा जाँच का सामना करना पड़ रहा है।
- लक्ष्मी विलास बैंक को परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा और हाल ही में DBS Bank of Singapore के साथ इसका विलय कर दिया गया।
- NPAs की अंडर-रिपोर्टिंग: वर्ष 2015 में जब RBI ने बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता की समीक्षा का आदेश दिया तो Yes बैंक सहित कई निजी क्षेत्र के बैंक NPAs की अंडर-रिपोर्टिंग करने के दोषी पाए गए।

आगे की राह

- विलफुल डिफॉल्टर्स को दंडित करना: बैंक ऋणों पर विलफुल डिफॉल्ट (Wilful Defaults) को "आपराधिक कृत्य" मानने के लिये एक उपयुक्त वैधानिक ढाँचा लाने की तत्काल और अनिवार्य आवश्यकता है।
  - देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष अधिकारियों की जाँच करने की एक प्रणाली भी जवाबदेही में सुधार लाने में मदद करेगी।

नोट :

- शासन में सुधार: PSBs के शासन और प्रबंधन में सुधार करना होगा। ऐसा करने का एक उपाय पी.जे. नायक समिति द्वारा सुझाया गया था, जहाँ सरकार और शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्र नियुक्तियों (जिसके संबंध में सारे कार्य बैंक बोर्ड ब्यूरो को करने थे लेकिन वह अक्षम रहा) के बीच दूरी रखने की अनुशंसा की गई थी।
- PSBs के लिये अधिदेशों (Mandates) की संख्या कम करना: अब तक, इनमें से एक सुस्थापित अधिदेश किसानों के लिये ऋण माफी है। उन्हें सरकार से वृहत सहायता की आवश्यकता है, लेकिन ऋण माफी (जो चुकौती संस्कृति को खत्म कर देती है), उनमें से एक नहीं है।
  - बैंकों को अनिवार्य रूप से उधार देने के लिये बाध्य करना भी उतना ही हानिकारक है। वर्तमान में, MSMEs को उधार देने के लिये उन पर विशेष दबाव रखा जा रहा है।
- आधारभूत संरचना का उपयोग: बैंक शाखाओं एवं आधारभूत संरचनाओं और परिसंपत्तियों के इतने बड़े नेटवर्क को निजी उद्यमों या कॉर्पोरेट्स के हाथों में रखना एक विवेकहीन कदम भी साबित हो सकता है।
  - यह आम आदमी को सुविधाजनक और किफायती बैंकिंग सेवाओं से वंचित कर सकता है, जबकि एकाधिकार और गुटबंदी का जोखिम इस समस्या को और जटिल बना सकता है।
  - इस प्रकार, पहले से मौजूद आधारभूत संरचनाओं का इष्टतम उपयोग करना अधिक उपयुक्त होगा।
- बैंकों की डी-रिस्किंग: ऋण प्रदान करने हेतु और NPAs के प्रभावी समाधान के लिये विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है।
  - इस संदर्भ में 'बैड बैंक' (Bad bank) की स्थापना और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency Bankruptcy Code) के माध्यम से NPAs का त्वरित समाधान करना सही दिशा में उठाया गया कदम होगा।
- PSBs का निगमीकरण: अंधाधुंध निजीकरण के बजाय PSBs को जीवन बीमा निगम (LIC) जैसे निगम में रूपांतरित किया जा सकता है । सरकारी स्वामित्व बनाए रखते हुए इनका निगमीकरण PSBs को अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

इस प्रकार, PSBs के महज निजीकरण से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। उपयोगी परिणाम प्राप्त करने के लिये बहुत से अन्य जटिल क्षेत्र-विशिष्ट सुधार भी किये जाने चाहिये।

वस्त्र उद्योग हेतु प्रोत्साहन

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्र क्षेत्र के लिये उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंज़ूरी प्रदान की है। वस्त्र क्षेत्र के लिये PLI योजना केंद्रीय बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 13 क्षेत्रों के लिये PLI योजनाओं की समग्र घोषणा का ही एक अंग है।

37 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात और 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर की घरेलू खपत के साथ भारतीय वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। परिधान विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्येक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त निर्यात 1.5 लाख नए रोज़गार का सृजन कर सकता है।

यदि समय पर कुछ उपयुक्त उपाय किये जाते हैं तो भारतीय निर्यात अगले कई वर्षों तक दोहरे अंकों में वृद्धि कर सकता है, जिससे लाखों नौकरियाँ पैदा होंगी। इस संदर्भ में, वस्त्र क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना और कुछ तत्काल उपाय करना अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय परिधान क्षेत्र को वैश्विक व्यापार में कोविड के बाद के उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिये पैमाने (scale), विशेषज्ञता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता की आवश्यकता है।

वस्त्र क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियाँ

- अत्यधिक खंडित: भारतीय वस्त्र उद्योग अत्यधिक खंडित है और यहाँ असंगठित क्षेत्र तथा छोटे एवं मध्यम उद्योगों का प्रभुत्व है।
- पुरानी प्रौद्योगिकी: भारतीय वस्त्र उद्योग नवीनतम प्रौद्योगिकी तक पहुँच की सीमितता रखता है (विशेषकर लघु उद्योगों में) और अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार में वैश्विक मानकों को पूरा कर सकने में विफल रहता है।

नोट :

- कर संरचना संबंधी समस्याएँ: GST (वस्तु एवं सेवा कर) की कर संरचना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कपड़ों को महँगा और अप्रतिस्पर्द्धी बनाती है। एक और खतरा श्रम मज़दूरी और मज़दूरों के वेतन में हो रही वृद्धि से उत्पन्न हो रहा है।
- गतिहीन निर्यात: इस क्षेत्र का निर्यात गतिहीन बना रहा है और पिछले छह वर्षों से 40 बिलियन डॉलर के स्तर पर ही स्थिर है।
- पैमाने की कमी: भारत में परिधान इकाइयों का औसत आकार 100 मशीनों का है जो बांग्लादेश की तुलना में बहुत कम है, जहाँ प्रति कारखाना औसतन कम से कम 500 मशीनें मौजूद हैं।
- विदेशी निवेश की कमी: इन चुनौतियों के कारण विदेशी निवेशक वस्त्र क्षेत्र में निवेश को लेकर अधिक उत्साहित नहीं हैं जो चिंता का एक अन्य विषय है।
  - जबकि पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश में तेज़ी देखी गई है, इसने अप्रैल 2000 से दिसंबर 2019 तक मात्र 3.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया।

आगे की राह

- पैमाने की आवश्यकता: उत्पादन लागत को कम करने और वैश्विक बेंचमार्क की पूर्ति के लिये उत्पादकता स्तर में सुधार लाने हेतु पैमाना महत्त्वपूर्ण है और इसके बाद ही अमेरिका जैसे बाज़ारों से बड़े ऑर्डर की पूर्ति की जा सकती है।
  - सही पैमाने और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के साथ, भारत प्रतिस्पर्द्धी देशों की विनिर्माण लागत की बराबरी कर सकता है।
- पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल विनिर्माण प्रक्रिया: सामाजिक और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता में वृद्धि के साथ, वैश्विक खरीदार अधिक अनुपालनकर्त्ता, संवहनीय और बड़े कारखानों को थोक आदेश देना पसंद करते हैं तथा यह परिदृश्य चीन और वियतनाम में उपलब्ध है। प्रतिस्पर्द्धा के लिये भारत को भी ये सुविधाएँ विकसित करनी होगी।
  - वृद्धिशील बिक्री वृद्धि की शर्त के साथ, नई शुरू की गई PLI योजना निरंतर आधार पर क्षमता बढ़ाने के लिये उद्यम से निवेश सुनिश्चित करती है। भारत निश्चित रूप से अगले कुछ वर्षों में 10 एक बिलियन डॉलर पूँजी की कंपनियों का निर्माण कर सकता है।
- विशेषज्ञता: भारत ने सूती परिधानों के क्षेत्र में एक मज़बूत पारितंत्र का निर्माण किया है, लेकिन मानव-निर्मित फाइबर (MMF) परिधान के निर्माण में पिछड़ रहा है। वैश्विक फैशन अब ब्लेंड परिधानों की ओर आगे बढ़ रहा है।
  - अमेरिका सालाना लगभग 3 लाख करोड़ रूपये मूल्य के MMF परिधान आयात करता है। इस वृहत बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी महज 2.5% है।
  - इसलिये, एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ इस क्षेत्र को वैश्विक फैशन माँगों के अनुरूप संरेखित किया जाना आवश्यक है।
  - उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन MMF परिधान और कपड़ों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। इतने सारे उत्पादों को अलग-अलग प्रोत्साहन प्रदान करने के बजाय, यह कुछ ऐसे उत्पादों में विशेषज्ञता हासिल करने का उपयुक्त समय है जिनके पास बाज़ार के बड़े अवसर मौजूद हैं।
  - एकीकृत कंपनियाँ MMF परिधान निर्माण के लिये ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में निवेश कर सकती हैं और लागत के मामले में चीन तथा वियतनाम जैसे मज़बूत खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकती हैं।
- प्रतिस्पर्द्धात्मकता: कम लागत वाले प्रतिस्पर्द्धियों के साथ मुकाबला करने के लिये भारत को मूल्य निर्धारण में अत्यधिक कुशल होने की आवश्यकता है। PLI योजना में सुनिश्चित उत्पादन प्रोत्साहन के साथ, विकास की आकांक्षा रखने वाले उद्यमी एकीकृत स्मार्ट कारखानों में साहसपूर्वक निवेश कर सकेंगे। यह विश्वस्तरीय उत्पादकता और विनिर्माण दक्षता हासिल करने में मदद कर सकता है।
- पूँजी आकर्षित करना: भारतीय वस्त्र क्षेत्र का केवल 10% स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। वस्त्र क्षेत्र (कच्चे माल निर्माताओं को छोड़कर) का बाज़ार पूँजीकरण लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का है जो BSE के 250 लाख करोड़ रूपये बाज़ार पूँजीकरण का मात्र 1% है।
  - लघु एवं मध्यम क्षेत्र की कई वस्त्र कंपनियाँ शेयर बाज़ार में भागीदारी नहीं रखती हैं।
  - कई गैर-सूचीबद्ध वस्त्र कंपनियाँ विश्वस्तरीय संवहनीय अभ्यास का प्रदर्शन कर रही हैं और यदि वे सही रुख प्रस्तुत करती हैं तो पर्याप्त पूँजी आकर्षित कर सकती हैं।

नोट :

- पिछले दो वर्षों में, सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में नई ऊर्जा लाने के लिये कई संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की है। PLI ऐसा ही एक सुधार है। यह उपयुक्त समय है कि उद्योग आगे आएँ और इस योजना के तहत नई परियोजनाओं की घोषणा करें तथा भारत को दुनिया की फैशन राजधानी बनाने की दिशा में आगे बढ़ें।

निष्कर्ष

भारत को वस्त्र क्षेत्र के लिये एक व्यापक रूपरेखा की आवश्यकता है। एक बार यह रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद, देश को इसकी पूर्ति के लिये मिशन मोड में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में फिर केंद्र द्वारा तैयार की जा रही नई वस्त्र नीति 2020 का उद्देश्य एक प्रतिस्पर्द्धी वस्त्र क्षेत्र का विकास होना चाहिये जो आधुनिक, संवहनीय और समावेशी हो।

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

वर्तमान समय में BRICS

13वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS summit), 2021 भारत की अध्यक्षता में डिजिटल प्रारूप में आयोजित किया जाने वाला है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के इस बहुपक्षीय समूह की अध्यक्षता बारी-बारी से पाँचों सदस्य देशों द्वारा की जाती है। भारत ने पूर्व में वर्ष 2012 और 2016 में इसकी अध्यक्षता की थी।

यह समूह एक सीमा तक सफल रहा है लेकिन वर्तमान में यह कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह उपयुक्त समय है कि इन चुनौतियों की पहचान की जाए और भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया जाए।

ब्रिक्स का महत्त्व

- पाँच बड़े देशों का समूह: वर्ष 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन (Brazil, Russia, India and China- BRIC) के विदेश मंत्रियों की एक बैठक द्वारा इस समूह की शुरूआत हुई और वर्ष 2009 से नियमित रूप से आयोजित शिखर सम्मेलनों से सृजित राजनीतिक तालमेल के साथ वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के प्रवेश से BRIC BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa- BRICS) में रूपांतरित हो गया।
  - ब्रिक्स का महत्त्व स्वयंसिद्ध है: यह विश्व की आबादी के 42%, भूमि क्षेत्र के 30%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 24% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 16% का प्रतिनिधित्व करता है।
- उत्तर और दक्षिण के बीच का सेतु: इस समूह की यात्रा पर्याप्त उत्पादक रहा है। इसने वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच एक सेतु (a bridge between the Global North and Global South) के रूप में कार्य करने का प्रयास किया है।
- साझा वैश्विक परिप्रेक्ष्य: BRICS ने बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार का आह्वान किया ताकि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों और उभरते हुए बाज़ारों की बढ़ती केंद्रीय भूमिका को प्रतिबिंबित कर सकें।
- विकास सहयोग: इसने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साझा दृष्टिकोण का विकास किया है; न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना की है; आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (Contingency Reserve Arrangement) के रूप में एक वित्तीय स्थिरता नेट का निर्माण किया है; और एक 'वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्चुअल सेंटर' (Vaccine Research and Development Virtual Center) स्थापित करने की राह पर अग्रसर है।

ब्रिक्स के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त: समूह के समक्ष संघर्ष की कई स्थितियाँ मौजूद रही हैं। जैसे, पिछले वर्ष पूर्वी लद्दाख में चीन की आक्रामकता से भारत-चीन संबंध पिछले कई दशकों में अपने निम्नतम स्तर पर आ गया है।
  - पश्चिम के साथ चीन और रूस के तनावपूर्ण संबंधों और ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त गंभीर आंतरिक चुनौतियाँ जैसी वास्तविकताओं का सामना भी यह समूह कर रहा है।
  - इधर दूसरी ओर कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर चीन की छवि खराब हुई है। इस पृष्ठभूमि में ब्रिक्स की प्रासंगिकता संदेहास्पद बनी है।
- विषम जातीयता (Heterogeneity): आलोचकों द्वारा यह दावा किया जाता है कि ब्रिक्स राष्ट्रों की विषम जातीयता (सदस्य देशों की परिवर्तनशील/भिन्न प्रकृति), जहाँ देशों के अपने अलग-अलग हित हैं, से समूह की व्यवहार्यता को खतरा पहुँच रहा है।
- चीन-केंद्रित समूह: ब्रिक्स समूह के सभी देश चीन के साथ एक-दूसरे की तुलना में अधिक व्यापार करते हैं, इसलिये इसे चीन के हित को बढ़ावा देने के लिये एक मंच के रूप में दोषी ठहराया जाता है। चीन के साथ व्यापार घाटे को संतुलित करना अन्य साझेदार देशों के लिये एक बड़ी चुनौती है।

नोट :

- शासन के लिये वैश्विक मॉडल: वैश्विक मंदी, व्यापार युद्ध और संरक्षणवाद के बीच, ब्रिक्स के लिये एक प्रमुख चुनौती शासन के एक नए वैश्विक मॉडल का विकास करना है जो एकध्रुवीय नहीं हो, बल्कि समावेशी और रचनात्मक हो।
  - लक्ष्य यह होना चाहिये कि प्रकट हो रहे वैश्वीकरण के नकारात्मक परिदृश्य से बचा जाए और विश्व की एकल वित्तीय तथा आर्थिक सातत्य को विकृत किये या तोड़े बिना वैश्विक उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक जटिल विलय शुरू किया जाए।
- घटती प्रभावकारिता: पाँच शक्तियों का यह गठबंधन सफल रहा है, लेकिन एक सीमा तक ही। चीन के वृहत आर्थिक विकास ने ब्रिक्स के अंदर एक गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। इसके अलावा, समूह ने वैश्विक दक्षिण की सहायता के लिये पर्याप्त प्रयास नहीं किया है, ताकि अपने एजेंडे के लिये उनका इष्टतम समर्थन हासिल कर सके।

ब्रिक्स की प्राथमिकताएँ

- बहुपक्षीयता का निर्माण: पहली प्राथमिकता यह हो कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर विश्व व्यापार संगठन और अब यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तक—बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार को आगे बढ़ाया जाए।
  - यह कोई नया लक्ष्य नहीं है। ब्रिक्स को इस दिशा में अब तक बहुत कम सफलता मिली है, हालाँकि बहुपक्षीयता को सुदृढ़ करना एक सशक्त बंधन के साथ-साथ एक प्रकाश-स्तंभ (beacon) के रूप में भी कार्य करेगा।
  - सुधार के लिये वैश्विक सर्वसम्मति की आवश्यकता है जो कि अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा और स्वास्थ्य, जीवन एवं आजीविका को कोविड-19 से लगे भारी आघात के वर्तमान परिदृश्य में शायद ही संभव है।
- आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये संकल्प: आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय परिघटना है जो यूरोप, अफ्रीका, एशिया और विश्व के अन्य हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। अफगानिस्तान के मामले में दुखद घटनाओं की कड़ी ने इस व्यापक विषय पर तीव्रता से ध्यान केंद्रित करने में मदद की है और महज बयानबाजी एवं वास्तविक कार्रवाई के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता पर बल दिया है।
  - इस संदर्भ में, ब्रिक्स आतंकवाद-रोधी कार्ययोजना (जिसमें कट्टरपंथीकरण, आतंकवादी वित्तपोषण और आतंकी समूहों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग से मुकाबले के लिये विशिष्ट उपायों पर विचार किया गया है) के निर्माण के साथ अपनी आतंकवाद-रोधी रणनीति को व्यावहारिक आकार देने का प्रयास कर रहा है। अपेक्षा है कि यह योजना आगामी शिखर सम्मेलन की एक प्रमुख उपलब्धि होगी और वस्तुस्थिति में कुछ परिवर्तन ला सकती है।
- सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) के लिये प्रौद्योगिकीय और डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देना।
  - डिजिटल साधनों ने कोविड महामारी से बुरी तरह प्रभावित विश्व की मदद की है और भारत शासन में सुधार के लिये नए प्रौद्योगिकीय साधनों का उपयोग करने वाले अग्रणी देशों में शामिल है।
- लोगों के बीच परस्पर सहयोग का विस्तार: यद्यपि लोगों के बीच परस्पर सहयोग (people-to-people cooperation) के विस्तार के लिये अभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के पुनरुद्धार की प्रतीक्षा करनी होगी। डिजिटल माध्यमों के माध्यम से संवाद/वार्ता व्यक्तिगत बैठकों का पूर्ण विकल्प नहीं हो सकतीं।

आगे की राह

- समूह के भीतर सहयोग: ब्रिक्स को चीन की केंद्रीयता के त्याग के साथ एक बेहतर आंतरिक संतुलन के निर्माण की आवश्यकता है, जो क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं के विविधीकरण और सशक्तिकरण की तत्काल आवश्यकता से प्रबलित हो (जिसकी आवश्यकता महामारी के दौरान उजागर हुई है)।
  - नीतिनिर्माता कृषि, आपदा प्रत्यास्थता (disaster resilience), डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा और सीमा शुल्क संबंधी सहयोग जैसे विविध क्षेत्रों में इंट्रा-ब्रिक्स सहयोग (intra-BRICS cooperation) में वृद्धि को प्रोत्साहित करते रहे हैं।
- ब्रिक्स ने अपने पहले दशक में साझा हितों के मुद्दों की पहचान करने और इन मुद्दों के समाधान के लिये एक मंच के निर्माण के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया था।
  - अगले दशकों में ब्रिक्स के प्रासंगिक बने रहने के लिये, इसके प्रत्येक सदस्य को इस पहल के अवसरों और अंतर्निहित सीमाओं का यथार्थवादी मूल्यांकन करना चाहिये।

नोट :

- बहुपक्षीय विश्व के लिये प्रतिबद्धता: ब्रिक्स देशों को अपने दृष्टिकोण के पुन:व्यासमापन (Recalibration) और अपने आधारभूत लोकाचार के लिये फिर से प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। ब्रिक्स को एक बहुध्रुवीय विश्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करनी चाहिये जो संप्रभु समानता और लोकतांत्रिक निर्णय लेने का अवसर देता हो।
- उन्हें NDB की सफलता से प्रेरित होना चाहिये और अन्य ब्रिक्स संस्थानों में निवेश करना चाहिये। ब्रिक्स के लिये OECD की तर्ज पर एक संस्थागत अनुसंधान प्रभाग विकसित करना उपयोगी होगा, जो ऐसे समाधान पेश करेगा जो विकासशील विश्व के लिये अधिक अनुकूल होंगे।
- ब्रिक्स को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते (Paris Agreement on climate change) और संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (UN's sustainable development goals) के तहत घोषित अपनी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के लिये ब्रिक्स-नेतृत्त्व वाले प्रयास पर विचार करना चाहिये। इसमें ब्रिक्स ऊर्जा गठबंधन (BRICS energy alliance) और एक ऊर्जा नीति संस्थान (energy policy institution) स्थापित करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।
- ब्रिक्स देशों को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में संकट और संघर्ष के शांतिपूर्ण तथा राजनीतिक-राजनयिक समाधान के लिये भी प्रयास करना चाहिये।

निष्कर्ष

इस प्रकार, ब्रिक्स का भविष्य भारत, चीन और रूस के आंतरिक और बाह्य मुद्दों के समायोजन पर निर्भर करता है। भारत, चीन और रूस के बीच आपसी संवाद आगे बढ़ने के लिये बेहद महत्त्वपूर्ण होगा।

भारत-श्रीलंका के बिगड़ते संबंध

कोलंबो के साथ भारत की विकास साझेदारी हमेशा माँग-प्रेरित रही है, जहाँ औद्योगिक विकास के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता तक पहुँच जैसी सामाजिक अवसंरचनाओं को दायरे में लेने वाली परियोजनाएँ शामिल रही हैं।

श्रीलंका के प्रति भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के ही अनुरूप वर्ष 2020 में श्रीलंका की 'इंडिया फर्स्ट' विदेश एवं सुरक्षा नीति अभिव्यक्त हुई थी।

लेकिन हाल के दिनों में चीनी हस्तक्षेप के कारण दोनों देशों के संबंधों में गिरावट आई है। श्रीलंका द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा के साथ स्थिति के और बिगड़ने की संभावना है।

श्रीलंका जैसे देशों के साथ अपने महत्त्वपूर्ण संबंधों को खोने से बचने के लिये भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय एवं राजनयिक नीतियों के संपोषण और क्षेत्रीय मंचों के पूर्ण उपयोग की आवश्यकता है।

भारत और श्रीलंका

- आर्थिक संबंध: अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। श्रीलंका के निर्यात का 60% से अधिक हिस्सा भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते से लाभान्वित होता है। भारत श्रीलंका में एक प्रमुख निवेशक की स्थिति भी रखता है।
  - वर्ष 2005 से 2019 के बीच श्रीलंका को भारत से लगभग 1.7 बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ।
  - जुलाई 2020 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2019-22' के तहत 400 मिलियन डॉलर तक की निकासी के लिये सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (CBSL) के साथ एक मुद्रा-विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया।
- संबंधों में गिरावट: फरवरी, 2021 से दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंध खराब होने लगे, जब श्रीलंका घरेलू मुद्दों का हवाला देते हुए कोलंबो पोर्ट पर अपने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिये भारत और जापान के साथ हुई त्रिपक्षीय साझेदारी से पीछे हट गया।
  - हालाँकि, बाद में उसने सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्था के तहत 'अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड' को वेस्ट कोस्ट टर्मिनल की पेशकश की।
- श्रीलंका में आपातकाल: खाद्य पदार्थों जैसे आवश्यक आयात के लिये विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही चिंताजनक कमी को देखते हुए श्रीलंका ने हाल ही में देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है।

नोट :

- श्रीलंका चीनी, डेयरी उत्पाद, गेहूँ जैसी बुनियादी खाद्य आपूर्ति के लिये भी आयात पर अत्यधिक निर्भर है।
  - रुपये के अवमूल्यन के साथ ही खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2019 के आतंकी हमलों और फिर कोविड महामारी के प्रकोप के कारण देश का पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ और श्रीलंका का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1.2 बिलियन डॉलर (वर्ष 2019) से घटकर 670 मिलियन डॉलर (वर्ष 2020) रह गया।
- वर्ष 2020 में उसका सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात 109.7% था, जबकि बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात 62% दर्ज हुआ।

ऋण-जीडीपी अनुपात (Debt-to-GDP Ratio)

- यह देश के सार्वजनिक ऋण की तुलना उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से करने वाला मीट्रिक है। इसे प्राय: प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- किसी देश के उत्पादन (सकल घरेलू उत्पाद) के साथ उसकी देनदारियों (ऋण) की तुलना कर ऋण-जीडीपी अनुपात उस देश की अपने ऋणों का भुगतान कर सकने की क्षमता को इंगित करता है।
- उच्च ऋण-जीडीपी अनुपात वाले देश आम तौर पर अपने सार्वजनिक ऋण के भुगतान में कठिनाई झेलते हैं।

संबंधों में चीनी हस्तक्षेप

- श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता: चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है। श्रीलंका के सार्वजनिक क्षेत्र को चीन द्वारा प्रदत्त ऋण केंद्र सरकार के विदेशी ऋण का लगभग 15% है।
  - श्रीलंका अपने विदेशी ऋण के बोझ को दूर करने के लिये चीनी ऋण पर बहुत अधिक निर्भर है।
- भारतीय निर्यात को पीछे छोड़ना: श्रीलंका में चीन का निर्यात वर्ष 2020 में भारत के निर्यात से अधिक हो गया, जो लगभग 3.8 बिलियन डॉलर का था।
  - इसी वर्ष भारत का निर्यात 3.2 बिलियन डॉलर का था।
- अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश: चीन ने वर्ष 2006-19 के बीच श्रीलंका की आधारभूत संरचना परियोजनाओं में लगभग 12 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।
  - चीन को 99 वर्षों के लीज़ के एक अंग के रूप में श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर औपचारिक नियंत्रण भी प्राप्त है।
    - श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह शहर के आसपास एक विशेष आर्थिक क्षेत्र और एक नए आर्थिक आयोग की स्थापना का निर्णय लिया है जो चीन द्वारा वित्तपोषित होंगे। कोलंबो बंदरगाह भारत के ट्रांस-शिपमेंट कार्गो के 60% का वहन करता है।
  - हंबनटोटा और कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना को चीन को पट्टे पर देना यह सुनिश्चित करता है कि चीनी नौसेना की हिंद महासागर में स्थायी उपस्थिति बनी रहेगी जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये चिंताजनक स्थिति है।
- छोटे राष्ट्रों के हितों में बदलाव: श्रीलंका का आर्थिक संकट इसे अपनी नीतियों को बीजिंग के हितों के साथ संरेखित करने के लिये आगे और बाध्य कर सकता है।
  - यह परिदृश्य एक ऐसे समय बना है जब भारत पहले से ही अफगानिस्तान और म्याँमार के साथ कूटनीतिक कठिनाई का सामना कर रहा है।
  - बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देश भी अपने वृहत बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये चीन का रुख कर रहे हैं।

आगे की राह

- रणनीतिक हितों का संरक्षण: श्रीलंका के साथ 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का संपोषण भारत के लिये हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।
- क्षेत्रीय मंचों का लाभ उठाना: प्रौद्योगिकी संचालित कृषि, समुद्री क्षेत्र विकास, आईटी एवं संचार अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये भारत को BIMSTEC, SAARC, SAGAR और IORA जैसे मंचों का लाभ उठाने की आवश्यकता है।
  - श्रीलंका के प्रति भारतीय विदेश नीति को, अपनी 'द्वीपीय कूटनीति' (Island Diplomacy) के एक भाग के रूप में, उभरती वास्तविकताओं और खतरों के अनुरूप विकसित करना होगा।

नोट :

- चीन के विस्तार को रोकना: भारत को जाफना में कांकेसंतुराई बंदरगाह (Kankesanturai port) और त्रिंकोमाली में 'ऑइल तेल टैंक फार्म परियोजना' पर कार्य करना जारी रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चीन श्रीलंका में कोई और घुसपैठ न करे।
  - दोनों देश आर्थिक लचीलेपन के सृजन हेतु निजी क्षेत्र निवेश में वृद्धि के लिये भी सहयोग कर सकते हैं।
- भारत के 'सॉफ्ट पावर' का लाभ उठाना: प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत अपनी आईटी कंपनियों की उपस्थिति का विस्तार कर श्रीलंका में रोज़गार के अवसर पैदा कर सकता है।
  - ये कंपनियाँ हज़ारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा कर सकती हैं और इस द्वीप राष्ट्र की सेवा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

फार्मा क्षेत्र में नवाचार

भारत वैश्विक फर्मास्युटिकल क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि सही कदम उठाए जाएँ और उपयुक्त तरीके से संपोषण किया जाए तो भारत वैश्विक फर्मास्युटिकल बाज़ार में अग्रणी देश बन सकता है। भारतीय फार्मा उद्योग की अगली उपलब्धि नवाचार के इर्द-गिर्द केंद्रित होनी चाहिये।

हालाँकि, जेनेरिक से आगे जाने और नवाचार लाने के लिये फार्मा उद्योग को R&D टैक्स ब्रेक, पेटेंट कानून में बदलाव तथा अनुसंधान प्रतिभा के रूप में नीति समर्थन की आवश्यकता होगी।

भारतीय फार्मा क्षेत्र की स्थिति

- भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। यह विभिन्न टीकों/वैक्सीन की वैश्विक माँग के 50%, अमेरिका की जेनेरिक माँग के 40% और यू.के. में सभी दवाओं की माँग के 25% की आपूर्ति करता है।
- भारतीय फर्मास्युटिकल बाज़ार लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और फार्मा कंपनियाँ अतिरिक्त 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करती हैं।
  - हालाँकि, यह 1.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक फर्मास्युटिकल बाज़ार का एक मामूली हिस्सा ही है।
- दवा उत्पादन के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत मात्रा के हिसाब से तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है।
- वैश्विक जेनेरिक बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी 30% से अधिक है, लेकिन न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटी स्पेस में इसकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, अगले दशक में घरेलू बाज़ार के तीन गुना वृहत होने की उम्मीद है।
  - भारत का घरेलू फार्मास्युटिकल बाज़ार वर्ष 2021 में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आकलित किया गया है, जिसके वर्ष 2024 तक 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2030 तक 120 से 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

भारतीय फार्मा क्षेत्र के साथ संबद्ध समस्याएँ

- नवाचार के क्षेत्र में क्षमताओं की कमी: भारत श्रमशक्ति और प्रतिभा के मामले में तो समृद्ध है, लेकिन फिर भी नवाचार अवसंरचना के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। सरकार को भारत के नवाचार के विकास के लिये अनुसंधान पहलों और प्रतिभा में निवेश करने की आवश्यकता है।
  - सरकार को कुछ नियामक निर्णयन में नैदानिक परीक्षणों और 'सब्जेक्टिविटी' का समर्थन करना चाहिये।
- बाहरी बाज़ारों का प्रभाव: रिपोर्टों के अनुसार भारत सक्रिय दवा सामग्री (API) और अन्य मध्यवर्ती सामग्रियों के लिये अन्य देशों पर बहुत अधिक निर्भर है। 80% API चीन से आयात किये जाते हैं।
  - इसलिये भारत आपूर्ति में व्यवधान और अप्रत्याशित मूल्य उतार-चढ़ाव का शिकार होता है। आपूर्ति को स्थिर करने के लिये आंतरिक सुविधाओं के क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे में सुधार लाया जाना आवश्यक है।
- गुणवत्ता अनुपालन अन्वेषण (Quality compliance inquiry): भारत वर्ष 2009 के बाद से सर्वाधिक खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration- FDA) निरीक्षण के दायरे में रहा है; इसलिये, गुणवत्ता मानकों के उन्नयन के लिये निरंतर निवेश पूँजी को विकास के अन्य क्षेत्रों से दूर कर देगा और विकास की गति कम हो जाएगी।
- स्थिर मूल्य निर्धारण और नीतिगत वातावरण का अभाव: भारत में अप्रत्याशित और लगातार घरेलू मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन से एक चुनौती उत्पन्न हुई है जिसने निवेश और नवाचारों के लिये एक संदिग्ध माहौल का निर्माण किया है।

नोट :

फार्मा क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता

- दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि करना वर्तमान समय की माँग थी। लेकिन अब यह आवश्यक हो गया है कि नवाचार इस व्यवसाय के मूल में हो, और यदि भारत वैश्विक फार्मास्युटिकल क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने की इच्छा रखता है तो उसके लिये नवाचार को अंगीकार करने की महती आवश्यकता है।
- नवाचार के विषय में भारत की व्यापक संलग्नता न केवल देश की सहायता करेगी बल्कि स्थायी राजस्व के एक स्रोत का सृजन करेगी और अपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिये नए समाधान लेकर आएगी।
  - भारत में इसके परिणामस्वरूप रोगों के बोझ में कमी आएगी (तपेदिक और कुष्ठ रोग जैसी भारत-विशिष्ट चिंताओं के लिये दवाओं के विकास पर वैश्विक ध्यान नहीं दिया जाता है), नई उच्च-कुशल नौकरियों का सृजन होगा और वर्ष 2030 से लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निर्यात की स्थिति बनेगी।
  - चीन जैसे देश पहले ही जेनेरिक दवा आधारित विकास पीछे छोड़ पर्याप्त आगे बढ़ चुके हैं।

नवाचार के मार्ग की चुनौतियाँ

भारत में नवाचार की उन्नति के लिये विभिन्न चुनौतियों से निपटना होगा, जिनमें प्रमुख हैं:

- जटिल और लंबी अनुमोदन प्रक्रियाएँ (भारत में नई दवाओं के विकास के लिये मंज़ूरी प्रदान करने में विकसित देशों के 11-18 माह के समय की तुलना में 33-63 माह लगते हैं)।
- सुदृढ़ प्रक्रिया दिशा-निर्देशों का अभाव (USFDA में सूचीबद्ध 600 से अधिक दिशा-निर्देशों की तुलना में भारत में 24 दिशा-निर्देश ही सूचीबद्ध हैं)।
- पारदर्शिता की कमी (अमेरिका में एक सुस्थापित प्री-सबमिशन प्रक्रिया और एक समयबद्ध स्टेज-गेट प्रक्रिया मौजूद है)।
- अपर्याप्त क्षमता/सक्षमता (भारत में नियामक निकायों की सक्षमता में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है)।
- सीमित शासन (भारतीय प्राधिकरण वर्तमान में केवल आवेदनों और अनुमोदनों की संख्या को ट्रैक करते हैं)।
- एक सीमित नवाचार मानसिकता (नैदानिक परीक्षणों की स्वीकृति जैसे मामलों में अधिकांश वैश्विक निकायों की तुलना में भारत जोखिम से दूर रहने की मानसिकता रखता है)।

आगे की राह

- सुदृढ़ विनियमन: सरलीकृत प्रक्रियाओं, सुदृढ़ दिशा-निर्देशों, पूर्वानुमेयता, पर्याप्त सक्षमता और सुदृढ़ शासन के साथ एक सक्षम नियामक संरचना का निर्माण करना।
  - भारत को प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिये अनुमोदन समय में 60% की कमी लाने की आवश्यकता है।
- औद्योगिक निवेश के लिये नीतियों/प्रोत्साहनों, प्रत्यक्ष सरकारी निवेश और उल्लेखनीय निजी निवेश के माध्यम से सरकारी सहायता के साथ ठोस वित्तीय समर्थन प्रदान करना।
  - भारत लाभ की एक आकर्षक श्रृंखला प्रदान करता है जहाँ भारित R&D कटौती, अतिरिक्त पेटेंट बॉक्स लाभ और नवाचार निधि की वृद्धि के लिये प्रगतिशील नीतियाँ अधिक निवेश आकर्षित कर सकती हैं।
- उद्योग-अकादमिक संबद्धता: उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक प्रतिभा और अवसंरचना, उद्योग-उन्मुख अनुसंधान तथा सुदृढ़ शासन के साथ अकादमिक क्षेत्र एवं उद्योग के बीच मजबूत संबंध का निर्माण करने की आवश्यकता।
  - अमेरिका ने स्वतंत्र कंपनियों की स्थापना के लिये शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करने के लिये 'Bayh-Dole Act' पारित किया है।
  - भारत को वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने और अत्याधुनिक अनुसंधान का समर्थन करने के लिये विश्वस्तरीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की आवश्यकता है।
- सुसंगत नीतियाँ: अनुसंधान, प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और बौद्धिक संपदा (IP) जैसे समस्त विषयों में सुसंगत नीतियों के माध्यम से एक अनुकूल नीति परिदृश्य के निर्माण की आवश्यकता है।

नोट :

- सहयोग में तेज़ी लाने के लिये नवाचार केंद्रों की आवश्यकता: उपयुक्त संख्या में कई नवाचार केंद्रों के विकास की आवश्यकता है जहाँ अकादमिक क्षेत्र, सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र, उद्योग, स्टार्ट-अप्स और इन्क्यूबेटर्स सह-स्थापित हों।
- अन्य आधुनिक क्षेत्रों में निवेश: भारत को जैव प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान देना चाहिये और इसमें निवेश करना चाहिये। भारत के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग (जिसमें बायोफार्मास्युटिकल्स, बायो-सर्विसेज, बायो एग्रीकल्चर, बायो-इंडस्ट्री और बायो-इनफॉरमैटिक्स शामिल हैं) के प्रति वर्ष लगभग 30% की औसत दर से विकास करने और वर्ष 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

दृष्टि The Vision

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर

जीवाश्म ईंधन, जो प्रति वर्ष 830 मीट्रिक टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के लिये ज़िम्मेदार हैं, के विकल्पों की तलाश वर्षों से चल रही है।

वैज्ञानिकों के नवीनतम अध्ययनों में जलवायु भेद्यता (विशेष रूप से एशियाई देशों के मामले में) के चिंताजनक पहलू की ओर ध्यान दिलाया गया है। ग्लासगो (ब्रिटेन) में आयोजित हो रहे आगामी 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP26) में ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव को कम करने के लिये जलवायु अनुकूलन उपायों और समन्वित कार्य योजनाओं का फिर से परीक्षण किया जाएगा।

ज़ीरो CO_2 उत्सर्जन के साथ भारत के उद्योगों को ऊर्जा प्रदान करने और घरों को बिजली पहुँचाने के लिये एक वैकल्पिक स्रोत की खोज के परिप्रेक्ष्य में 'ग्रीन हाइड्रोजन' (Green Hydrogen) एक आकर्षक विकल्प प्रकट होता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है।

ग्रीन हाइड्रोजन

- हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन: यह पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्त्व है जिसका ऊर्जा घनत्व डीजल का लगभग तीन गुना होता है, लेकिन यह अपने शुद्ध रूप में दुर्लभ है।
  - हाइड्रोजन को उसकी उत्पादन तकनीक के आधार पर विभिन्न रंगों से नामित किया गया है—जैसे ब्लैक हाइड्रोजन का उत्पादन जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होता है, जबकि पिंक हाइड्रोजन का उत्पादन विद्युत् अपघटन अथवा इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से होता है जिसमें परमाणु ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।
  - ग्रीन हाइड्रोजन एक ज़ीरो-कार्बन ईंधन है जो विद्युत् अपघटन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, जहाँ जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा (पवन या सौर ऊर्जा) का उपयोग किया जाता है।
- ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता: ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से बिजली का उत्पादन 'नेट ज़ीरो' उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
  - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) के अनुसार भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है और वर्ष 2030 तक यह यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा।
    - इस उच्च स्तर के ऊर्जा उपभोग वाले देश के लिये, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की ओर संक्रमण/अवस्थानांतरण वर्तमान जलवायु भेद्यताओं को देखते हुए और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

ग्रीन हाइड्रोजन के अंगीकरण के लिये की गई पहलें:

- भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक मौजूदा डीजल इंजन के रेट्रोफिटिंग द्वारा हाइड्रोजन-ईंधन सेल प्रौद्योगिकी-आधारित ट्रेन चलाने के देश के पहले प्रयोग की घोषणा की है।
  - केंद्रीय बजट (2021-22) ने ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिये राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHM) की घोषणा की है।
- सऊदी अरब भी सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिये अपने निष्क्रिय लैंड बैंक्स (Idle-Land-Banks) का उपयोग कर अक्षय ऊर्जा के निर्माण की योजना को प्राथमिकता दे रहा है।
  - यह देश के उत्तरी-पश्चिमी भाग में एक बड़ी भूमि (लगभग बेल्जियम के आकार की) को दायरे में लेते हुए 5 बिलियन डॉलर की वृहत ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण इकाई स्थापित करने की दिशा में कार्यरत है।
- एशिया-प्रशांत उपमहाद्वीप में हाइड्रोजन नीति निर्माण के मामले में जापान और दक्षिण कोरिया सबसे आगे हैं।

नोट :

- जापान की 'बेसिक हाइड्रोजन स्ट्रैटेजी' ने वर्ष 2030 तक के लिये देश की कार्ययोजना निर्धारित कर रखी है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला स्थापित करना भी शामिल है।

संबद्ध समस्याएँ

- महँगा स्रोत: ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत को एक प्रमुख बाधा माना गया है।
  - अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (International Renewable Energy Agency- IREA) के अनुसार, इस 'हरित ऊर्जा स्रोत' की उत्पादन लागत वर्ष 2030 तक लगभग 1.5 डॉलर प्रति किलोग्राम के आसपास होगी (निरंतर धूप और विशाल अप्रयुक्त भूमि वाले देशों के लिये)।
- वृहत निवेश की आवश्यकता: ईंधन के रूप में और उद्योगों में हाइड्रोजन का व्यावसायिक उपयोग कर सकने के लिये ऐसी प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास और हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और माँग निर्माण के लिये बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु भारी निवेश की आवश्यकता होगी।
- इलेक्ट्रोलाइज़र की उपलब्धता: इलेक्ट्रोलाइज़र (एक उपकरण जो बिजली का उपयोग कर जल को H_2 और O_2 में विभाजित करता है) की उपलब्धता में कमी ग्रीन हाइड्रोजन की अनुमानित आवश्यकता की पूर्ति की राह में बाधा बन सकती है।
  - हरित हाइड्रोजन की कुल उत्पादन लागत में इलेक्ट्रोलाइज़र की लागत सबसे अधिक हिस्सेदारी रखती है।
  - ऐसे इलेक्ट्रोलाइज़र्स की विनिर्माण क्षमता को 15,000-20,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता पड़ सकती है।

आगे की राह

- विकेंद्रीकृत उत्पादन: इलेक्ट्रोलाइज़र तक अक्षय ऊर्जा की खुली पहुँच के माध्यम से विकेंद्रीकृत हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - विकेंद्रीकृत हाइड्रोजन उत्पादन हेतु चौबीस घंटे अक्षय ऊर्जा आपूर्ति तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये तंत्र विकसित किया जाना चाहिये।
- व्हीलिंग इलेक्ट्रिसिटी: ट्रकों द्वारा हाइड्रोजन के परिवहन की तुलना में यह अधिक व्यवहार्य विकल्प है।
  - उदाहरण के लिये, कच्छ के सौर संयंत्र से वडोदरा की रिफाइनरी तक बिजली की व्हीलिंग ट्रकों का उपयोग कर हाइड्रोजन की आपूर्ति की तुलना में परिवहन लागत को 60% तक कम कर सकती है।
- हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग: व्यवहार्यता अंतर के आधार पर तेल शोधन और उर्वरकों जैसे मौजूदा अनुप्रयोगों के लिये 'ग्रे हाइड्रोजन' के साथ 'ग्रीन हाइड्रोजन' के एक निश्चित प्रतिशत की ब्लेंडिंग करना।
  - तेल शोधन और उर्वरक जैसे हाइड्रोजन अनुप्रयोगों की नई ग्रीनफील्ड क्षमताओं को भविष्य की एक कट-ऑफ तिथि से केवल ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिये अनिवार्य करना (दीर्घकालिक लॉक-इन से बचने के लिये)।
- क्षेत्रीय सहयोग: भारत को तटीय भारत से ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात के लिये दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जैसे देशों के साथ एक क्षेत्रीय गठबंधन का निर्माण करना चाहिये ताकि उन देशों को उनकी शुद्ध-ज़ीरो महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सहायता मिल सके।

निष्कर्ष

ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से बिजली उत्पादन 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे बने रहने के लिये 'नेट-ज़ीरो' उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक व्यवहार्य समाधान होगा। यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा।

यह उपयुक्त समय है कि शेष विश्व के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हम स्वच्छ ऊर्जा, अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने और अगली पीढ़ियों के लिये पर्यावरण के अनुकूल एवं सुरक्षित ईंधन के रूप में 'ग्रीन हाइड्रोजन' को अपनाने की ओर आगे बढ़ें।

नोट :

सामाजिक न्याय

वैवाहिक बलात्कार:महिलाओं के लिये एक अपमान

हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए एक निर्णय ने वैवाहिक बलात्कार के गैर-अपराधीकरण पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है। भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लिये आपराधिक कानून में कई संशोधन किये गए हैं, लेकिन भारत में वैवाहिक बलात्कार के गैर-अपराधीकरण की स्थिति महिलाओं की गरिमा और मानवाधिकारों को कमज़ोर करती है।

नवीनतम मामला

- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में आवेदक पति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को चुनौती देने वाली एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (criminal revision petition) पर निर्णय दिया।
- पत्नी के आरोपों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), धारा 377 (अप्राकृतिक शारीरिक संभोग) और धारा 498A (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता) के तहत पति पर आरोप तय किये थे।
- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने धारा 498A और धारा 377 के तहत तय आरोपों को तो बरकरार रखा लेकिन धारा 376 के आरोप से पति को इस आधार पर मुक्त कर दिया कि धारा 375 (बलात्कार की परिभाषा) के अपवाद 2 के अनुरूप एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी (यदि वह 18 वर्ष से अधिक आयु की है) के साथ संभोग बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।
- चूँकि उच्च न्यायालय कानून के दायरे में रहने को बाध्य था, उसके पास अन्य कोई विकल्प या निष्कर्ष उपलब्ध नहीं था। कानूनी परिकल्पना में विवाह के अंतर्गत सभी प्रकार के यौन संबंध परस्पर-सहमत (consensual) माने जाते हैं और पतियों को अपनी पत्नियों के साथ बलात यौन संबंध या बलात्कार के लिये मुकदमा चलाने या दंडित करने से छूट प्रदान की गई है।
- इसके बावजूद, भारतीय आपराधिक कानून की विसंगतियाँ और विफलताएँ, जो इस निर्णय से उजागर हुईं, विचारणीय और परीक्षण के योग्य हैं।

वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानने से संबद्ध समस्याएँ

- असंगत प्रावधान: एक पति पर किसी अन्य पुरुष की तरह ही यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, दृश्यरतिकता (voyeurism) और जबरन नग्न करने (forcible disrobing) जैसे अपराधों के लिये मुकदमा चलाया जा सकता है।
  - इसके अलावा, अपनी पत्नी से अलग रह रहे पति पर बलात्कार का मुकदमा भी चलाया जा सकता है (धारा 376B)।
  - हालाँकि, वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानना अन्य यौन अपराधों के साथ असंगत है।
- पितृसत्तात्मक धारणाएँ: वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानना अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) जैसे मौलिक अधिकारों में निहित व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा और लैंगिक समानता के संवैधानिक लक्ष्यों का तिरस्कार है।
  - जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यभिचार का अपराध (offence of adultery) असंवैधानिक था क्योंकि यह इस सिद्धांत पर आधारित था कि एक स्त्री विवाह के बाद अपने पति की संपत्ति है।
  - वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानना एक सदृश पितृसत्तात्मक धारणा की पुष्टि है कि विवाह के बाद एक पत्नी की व्यक्तिगत एवं यौन स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता और मानवीय गरिमा का अधिकार आत्मसमर्पित हो जाता है।
- विवाह संस्था के नष्ट होने की संभावना: वैवाहिक बलात्कार छूट को संरक्षित करने के लिये यहाँ तक कि सरकार द्वारा भी आमतौर पर यह तर्क दिया जाता कि वैवाहिक बलात्कार को एक आपराधिक कृत्य के रूप में मान्यता देना 'विवाह संस्था' (Institution of Marriage) को नष्ट कर देगा।

नोट :

- पति-संरक्षण या संश्रय का सिद्धांत (Doctrine of Coverture): वैवाहिक बलात्कार की गैर-आपराधिक प्रकृति का उदय ब्रिटिश काल में हुआ। वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानने की धारणा बहुत हद तक पति-संरक्षण या संश्रय के सिद्धांत से व्युत्पन्न और प्रभावित है, जहाँ विवाह के बाद स्त्री की पहचान (identity) को उसके पति के साथ संयुक्त कर दिया गया है।
  - 1860 के दशक में, जब भारतीय दंड संहिता (IPC) का मसौदा तैयार किया गया था, उस समय एक विवाहित महिला को एक स्वतंत्र कानूनी इकाई नहीं माना जाता था।
  - IPC में बलात्कार की परिभाषा से वैवाहिक बलात्कार को अलग या अपवाद के रूप में रखना विक्टोरियन पितृसत्तात्मक मानदंडों से प्रभावित था, जो पुरुषों और महिलाओं को एकसमान मान्यता नहीं देता था तथा विवाहित महिलाओं को संपत्ति रखने की अनुमति नहीं थी; साथ ही, पति और पत्नी की पहचान को "संश्रय के सिद्धांत" के तहत एक साथ संयुक्त कर दिया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के विरुद्ध: हमारे संविधान के उदार और प्रगतिशील मूल्यों के विपरीत और 'महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन' (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) जैसे साधनों के तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय कर्त्तव्यों/दायित्वों का उल्लंघन करते हुए यह प्रावधान पुरुषों के समक्ष महिलाओं की अधीनता (विशेष रूप से विवाह के अंतर्गत) को रेखांकित करता है।
  - वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपवाद की पुनर्व्याख्या की थी ताकि अपनी नाबालिग (18 वर्ष की आयु से कम) पत्नियों से बलात्कार करने वाले पति इस अपवाद के आधार पर बच न सकें।
  - यह उपयुक्त समय है कि वयस्क महिलाओं को भी विवाह में इसी प्रकार की सुरक्षा और गरिमा प्रदान की जाए।

महिलाओं पर वैवाहिक बलात्कार के प्रभाव

- पतियों द्वारा वैवाहिक बलात्कार और अन्य दुर्व्यवहार महिलाओं में तनाव, अवसाद, भावनात्मक संकट (emotional distress) और आत्महत्या के विचारों जैसे मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न करता है।
- वैवाहिक बलात्कार और हिंसक आचरण बच्चों के स्वास्थ्य और सेहत को भी प्रभावित करता है। एक ओर पारिवारिक हिंसक माहौल उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करता है, तो दूसरी ओर ये घटनाएँ स्वयं की और अपने बच्चों की उपयुक्त देखरेख कर सकने की महिलाओं की क्षमता को कमज़ोर कर सकती हैं।
- अपरिचित या परिचित व्यक्ति द्वारा बलात्कार की शिकार पीड़िताओं (stranger and acquaintance rape victims) की तुलना में वैवाहिक बलात्कार की शिकार पीड़िताएँ (Marital rape victims) बार-बार बलात्कार की घटनाओं का शिकार होने की अधिक संभावना रखती हैं। वैवाहिक बलात्कार पीड़िताएँ दीर्घावधिक दैहिक आघातों का शिकार होती हैं जो कई मामलों में अपरिचित व्यक्ति द्वारा बलात्कार की शिकार पीड़िताओं के आघात से भी अधिक गंभीर हो सकते हैं।
- वैवाहिक बलात्कार की शिकार महिलाएँ कई कारणों से विवाह में बने रहने को बाध्य हो सकती हैं। इसके कुछ प्रमुख कारण अधिक हिंसा का डर, वित्तीय सुरक्षा की हानि, आत्महीनता की भावना और साथी के व्यवहार में परिवर्तन की झूठी आशा हैं।

आगे की राह

- विवाह की संस्था के विरुद्ध नहीं: इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ (2017) मामले में सरकार ने वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानने का बचाव इस आधार पर किया था कि यह विवाह संस्था के विरुद्ध है।
  - हालाँकि इस दावे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "विवाह संस्थागत नहीं बल्कि व्यक्तिगत विषय है—विवाह की 'संस्था' को कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता है, सिवाय ऐसे कानून के जो विवाह को अवैध और दंडनीय बनाता है।"
  - इस परिप्रेक्ष्य में वैवाहिक बलात्कार को अपवाद से बाहर निकाला जा सकता है।
- वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण: महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (The United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women) में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को इस रूप में परिभाषित किया गया है—"लिंग-आधारित हिंसा का ऐसा कृत्य जो महिलाओं के शारीरिक, लैंगिक और मानसिक हानि या पीड़ा का परिणाम देता हो या देने की संभावना रखता हो और इसमें ऐसे कृत्यों से उत्पन्न खतरे, स्वतंत्रता से बलपूर्वक या मनमाने ढंग से वंचित करना शामिल है, चाहे वे सार्वजानिक जीवन में घटित हों या निजी जीवन में।''

नोट :

- वर्ष 2013 में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (UN Committee on Elimination of Discrimination Against Women- CEDAW) ने सिफारिश की थी कि भारत सरकार को वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करना चाहिये।

- न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट: 16 दिसंबर, 2012 के गैंग रेप मामले में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद गठित जे. एस. वर्मा समिति ने भी वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की अनुशंसा की थी।
  - इस कानून की समाप्ति से महिलाएँ उत्पीड़क पतियों से सुरक्षित होंगी, वैवाहिक बलात्कार से उबरने के लिये आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगी और घरेलू हिंसा एवं यौन शोषण से स्वयं की रक्षा में सक्षम होंगी।
- महिला अधिकार जागरूकता कार्यक्रम: सुचारू रूप से कार्यान्वित जागरूकता अभियान लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों को आश्रय, परामर्श, व्यावहारिक एवं कानूनी सलाह और अन्य सेवाएँ प्रदान कर सकता है।
  - जागरूकता के प्रसार के लिये स्थानीय, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक एवं निवारक कार्यक्रम शुरू किये जा सकते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय कानून अब पतियों और पत्नियों को पृथक तथा स्वतंत्र कानूनी पहचान प्रदान करते हैं और आधुनिक युग में न्याय प्रणाली प्रकट रूप से महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित हुई है।

इसलिये यह उपयुक्त समय है कि विधायिका को इस कानूनी दुर्बलता या विसंगति का संज्ञान लेना चाहिये और IPC की धारा 375 (अपवाद 2) को निरस्त कर वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार कानूनों के दायरे में लाना चाहिये।

सकारात्मक कार्रवाई का पुनः अंशांकन

हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs)हेतु आरक्षण शुरू करने के लिये सरकार की सराहना की गई और इस निर्णय से एक बार फिर जाति संबंधी जनगणना तथा सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) पर बहस शुरू हो गई है।

सकारात्मक कार्रवाई, जिसकी परिकल्पना गणतंत्र की स्थापना के समय की गई थी, वास्तव में हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत उल्लेखनीय प्रावधानों में से एक है। यह भारत जैसे एक भारी असमान और दमनकारी सामाजिक व्यवस्था वाले देश में न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करने हेतु ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरक्षण के प्रावधान भारतीय लोकतंत्र की सफलता की कहानियों में से प्रमुख किरदार रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने कई समस्याओं को भी जन्म दिया है और इस संबंध में तत्काल नीतिगत ध्यान एवं बहस की आवश्यकता है।

आरक्षण की आवश्यकता

- देश में पिछड़ी जातियों द्वारा झेले जा रहे ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिये।
- पिछड़े वर्गों के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान करने हेतु क्योंकि वे उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकते हैं जिनके पास सदियों से संसाधनों और साधनों की पहुँच उपलब्ध है।
- राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये।
- पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये।
- योग्यता के आधार के रूप में समानता सुनिश्चित करने के लिये अर्थात् सभी लोगों को पहले एकसमान स्तर पर लाना और फिर योग्यता के आधार पर उनका मूल्यांकन करना।

वर्तमान नीति के साथ समस्याएँ

- समता नहीं: राज्य के राजनीतिक और सार्वजनिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण के माध्यम से यह सोचा गया था कि अब तक हाशिये पर रहे समूह जो पीढ़ियों से उत्पीड़न और अपमान का सामना कर रहे हैं, अंततः सत्ता साझेदारी और निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में अपनी हिस्सेदारी पाने में सक्षम होंगे।

नोट :

- हालाँकि, अक्षमताओं को दूर करने की यह रणनीति हमारे विषम समाज में कई समूहों के लिये जीवन अवसरों की समानता के निर्माण में अनिवार्य रूप से सफल नहीं हुई है।

- वस्तुकरण की समस्या: वर्तमान परिदृश्य की वास्तविकता यह है कि यह व्यवस्था वस्तुकरण की समस्या से ग्रस्त है।
  - अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण पर न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग की रिपोर्ट द्वारा जारी आँकड़े इसे समझने के लिये एक अच्छा संक्षिप्त दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
  - अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये केंद्र सरकार की नौकरियों में नियुक्तियों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के मामले में पिछले पाँच वर्षों के आँकड़ों के आधार पर आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि केंद्रीय ओबीसी कोटा का 97% लाभ इस वर्ग की केवल 25% जातियों को प्राप्त होता है।
  - 983 ओबीसी समुदायों (जो कुल का 37% हैं) को केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश में शून्य प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
  - इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि ओबीसी समुदायों के केवल 10% ने 24.95% नौकरियों और प्रवेश पर अधिकार जमा लिया है।
- आँकड़ों की कमी: यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि रोहिणी आयोग के आँकड़े केवल उन संस्थानों पर आधारित हैं जो केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं।
  - राज्य और समाज के अधिक स्थानीय स्तरों पर विभिन्न सामाजिक समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर किसी भी स्पष्ट या विश्वसनीय आँकड़े का अभाव है।
- जाति अभी भी आय स्तर से संबद्ध है: मुक्ति के चरण में भी जातियाँ आय के अधिक पारंपरिक स्रोतों से ही जुड़ी हुई हैं और अर्थव्यवस्था के खुलने से उत्पन्न हुए अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं।
  - ज़मीनी स्तर पर सामाजिक सुरक्षा के अभाव में हाशिये पर स्थित लोगों का बहुमत अभी भी इतिहास के प्रतीक्षालय में भटकने को विवश है और राज्य की नीति ग्रिड की रोशनी पाने की प्रतीक्षा कर रहा है।
- समान अवसर आयोग (Equal Opportunities Commission, 2008) की विशेषज्ञ समिति ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को सौंपी गई अपनी व्यापक रिपोर्ट में कई सिफारिशें की थीं।
  - हालाँकि, इस संबंध में बहुत कम नीतिगत प्रगति हुई है। उत्तरोत्तर सरकारें इस तरह के व्यापक परिवर्तनकारी नीति विकल्पों से संबद्ध होने के प्रति अनिच्छुक रही हैं और लगभग हमेशा ही तात्कालिक और अदूरदर्शी राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से आगे बढ़ी हैं।
- हाशिये पर स्थित वर्गों की माँगें: आराक्षण के लाभ से वंचित रहे हाशिये पर स्थित वर्गों की ओर से अब प्रबल माँग उठ रही है कि ऐसे नीति विकल्पों पर विचार किया जाए जो आरक्षण की मौजूदा प्रणाली को पूरकता प्रदान कर सके।
- आरक्षण का विषम वितरण: आरक्षण के विषम वितरण ने निम्न जाति समूहों के बीच एकजुटता को भी बाधित किया है।

आगे की राह

- सकारात्मक कार्रवाई का पुन: अंशांकन: यह आवश्यक है कि सकारात्मक कार्रवाई के लाभ किसी भी जाति के निर्धनतम हिस्से तक पहुँचे।
  - एक तंत्र की आवश्यकता है जो सकारात्मक कार्रवाई के वर्तमान कार्यान्वयन में इस कमी को दूर कर सके और प्रणाली को अंतरा-समूह माँगों के प्रति अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सके।
- साक्ष्य-आधारित नीति की आवश्यकता: संदर्भ-संवेदनशील और साक्ष्य-आधारित नीति विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है, जिसे विशिष्ट समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तैयार किया जा सकता हो।
- संस्थागत व्यवस्था: संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम के 'समान अवसर आयोग' जैसी संस्था के गठन की आवश्यकता है जो दो महत्त्वपूर्ण लेकिन परस्पर संबंधित कार्य कर सकती है:
  - जाति, लिंग, धर्म और अन्य समूह असमानताओं सहित विभिन्न समुदायों की सामाजिक-आर्थिक-आधारित जनगणना से संबंधित आँकड़े से एक वंचित सूचकांक (deprivation index) का निर्माण करना और अनुरूप नीतियों के निर्माण के लिये उनकी रैंकिंग करना।

नोट :

- गैर-भेदभाव और समान अवसर पर नियोक्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन पर एक ऑडिट कार्य करना और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे अभ्यास के कोड जारी करना।
  - इससे संस्थागत स्तर पर नीति निर्माण और उसकी निगरानी करना आसान हो जाएगा।
- व्यापक जाति-आधारित जनगणना की आवश्यकता: भारत में सकारात्मक कार्रवाई व्यवस्था में किसी भी सार्थक सुधार के आरंभ के लिये एक सामाजिक-आर्थिक जाति-आधारित जनगणना आयोजित कराना एक आवश्यक पूर्व-शर्त बन जाता है।
  - इस प्रकार, जाति जनगणना को सामान्य जनगणना के साथ शामिल करना वर्तमान समय की माँग है।
- मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति: पिछड़ों के लिये न्याय, अगड़ों के लिये समानता और पूरी व्यवस्था के लिये दक्षता के बीच संतुलन की तलाश के लिये एक मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, आरक्षण के मुद्दे को एक नए ढाँचे में रखना आवश्यक है जो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों का उचित ध्यान रखता हो। यह ढाँचा ऐसा हो जो गुणवत्ता और समानता को बेहतर तरीके से संतुलित करने में मदद करे।

दृष्टि The Vision

नोट :